उत्तर प्रदेश शासन

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक
आय–व्ययक

वर्ष 2011–12

भूमिका

उत्तर प्रदेश जो देश की सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है, में औद्योगिक विकास की अपार संम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास तथा इसके माध्यम से बेरोजगारी दूर करने के प्रति कटिबद्ध है। प्रदेश का औद्योगिक विकास तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन, प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस दिशा में 03 वर्षो के दौरान जो ठोस प्रयास तथा पहल की है उसके सुखद परिणाम भी सामने आये हैं। प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रदेश के उद्यमियों, उद्यमी संगठनों आदि का विशेष योगदान रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत अब लघु उद्योग इकाइयों को मात्र मेमोरेन्डम कर पावती रसीद प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि औद्योगीकरण को गति मिल सके तथा रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध हो सकें। वर्ष **2009–10** में **34063** लघु उद्यमों की स्थापना कराते हुये **1,75,504** रोजगार सृजन किया गया जिनमें रू0 **3474.12** करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में **माह दिसम्बर,, 2010 तक 25619** लघु उद्यमों की स्थापना कराते हुए **1,33,827** रोजगार सृजन किया गया है, जिसमें रू0 **2196.24** करोड का पूँजी निवेश हुआ है। प्रदेश में पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग निदेशालय में पूँजी निवेश प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है।

लघु उद्योगों को सभी प्रकार की औद्योगिक परिसंरचनायें प्रदान करते हुए विकसित करने के उद्देश्य से संचालित क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत प्रदेश में चयनित क्लस्टर्स में से अबतक 17 क्लस्टर्स साफ्ट इन्टरवेन्शन हेतु तथा 05 क्लस्टर्स (कारपेट क्लस्टर,भदौही, ग्लास बीड्स क्लस्टर, वाराणसी पाटरी क्लस्टर,खुर्जा, सीजर्स क्लस्टर,मेरठ तथा लेदर क्लस्टर,चौरीचौरा,गोरखपुर)हार्ड इन्टरवेन्शन हेतु भारत सरकार से स्वीकृत कराये गये हैं।

लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन(टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन) योजना अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक कुल 82 इकाइयों को लाभान्वित किया जा चुका है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपना रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीयवर्ष 2010–11 में 4431 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

प्रदेश के वृहद औद्योगिक आस्थानों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न अवस्थापना सुविधायें (जैसे–सड़क, नाली, ड्रेनेज आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्यातकों को विभिन्न योजनाओं जैसे विपणन सहायता योजना, गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान तथा वायुयान भाड़ा युक्तीकरण योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रदेश में हस्तशिल्प विकास के लिए हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण से सम्बन्धित योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश के हस्तशिल्पियों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हस्तशिल्पी पेंशन योजना के अन्तर्गत विशिष्ट हस्तशिल्पियों को नियमानुसार रू0 1000.00 प्रतिमाह की दर से पेंशन भी दी जा रही है।

प्रदेश के सभी जिला उद्योग केन्द्रों में **हेल्प डेस्क** की स्थापना की गयी है। इस सुविधा का लाभ उद्यमियों द्वारा पूरे प्रदेश में निःशुल्क प्राप्त किया जा रहा है, जिसके द्वारा इन्टरनेट से जानकारियां विभिन्न विभागों के उपलब्ध फार्म, एवं इन्टरनेट के माध्यम से आवेदन पत्रों का विभिन्न विभागों को प्रेषण आदि किया जा रहा है।

प्रमुख कार्यक्रम

वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप निरन्तर परिवर्तित हो रहे परिदृश्य में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में उद्योगों की भूमिका का विशेष महत्व हो गया है। उद्योगों के माध्यम से जहॉ प्रदेश का बहुआयामी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाऍ भी उत्पन्न होती हैं। प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन में उद्योग निदेशालय,उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो आदि की प्रमुख भूमिका है, जो प्रदेश में लघु उद्योग के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से जनपदीय कार्ययोजना का प्रचार–प्रसार सम्बन्धित योजनाओं में पात्र अभ्यर्थियों का चयन एवं प्रोजेक्ट तैयार करना,आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना,बैंक ऋण स्वीकृत कराना,प्रोजेक्ट स्थापित कराना, प्रोजेक्ट में आ रही समस्याओं के निदान तथा इकाई द्वारा किये गये उत्पादन के समुचित विपणन में सहयोग देना इत्यादि कार्यो का निस्तारण किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्र का वरिष्ठतम अधिकारी महाप्रबन्धक होता है, जिसके अधीन सुचारू–रूप से कार्य संचालन हेतु प्रबन्धक विपणन, परियोजना प्रबन्धक एवं प्रबन्धक ऋण आदि कार्यरत है।

एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योगों को विभिन्न विभागों से अनुमोदन/स्वीकृतियॉ/आपत्तियों तथा लाइसेन्स इत्यादि के सम्बन्ध में आवेदन–पत्रों का निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीय तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जाता है, ताकि उद्यमियों को विभिन्न विभागों में उपर्युक्त कार्य हेतु बार–बार चक्कर लगाने की कठिनाई से मुक्त किया जा सके। उद्यमियों की सुविधा हेतु जनपद, मण्डल एवं प्रदेश स्तर पर उद्योग बन्धु का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से वरीयता के आधार पर उद्यमियों की समस्याओं एवं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों के प्रोत्साहन हेतु लघु उद्योग प्रादेशिक पुरस्कार योजना अन्तर्गत प्रति वर्ष शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय एवं मण्डल समिति द्वारा चयनित लघु उद्यमियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसी प्रकार हस्तशिल्प तथा निर्यात पुरस्कार से उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों एवं निर्यातकों को भी पुरस्कृत किया जाता है।

प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिये जाने तथा व्यवस्थित निर्यात विकास के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो सफलतापूर्वक कार्यरत है। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा प्रदेश के निर्यातकों के हित में '' त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना'' संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत एक्सपोर्ट फ्रेट सहायता, विपणन विकास सहायता,निर्यात पुरस्कार आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना का संचालन भी किया जा रहा है।

प्रदेश में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण योजनान्तर्गत पूर्व में स्थापित औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं आधुनिकरण किया जा रहा है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास, हस्तशिल्प विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु कई नई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना, लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, हस्तशिल्प प्रशिक्षण एंव कौशल उन्नयन,हस्तशिल्पी पेंशन योजना,वायुयान भाड़ा युक्तीकरण योजन तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

==========
==

वित्तीय आवश्यकताएं

==========

वित्तीय आवश्यकतायें
तालिका "क"
कार्यक्रमों/कार्यकलापों का वर्गीकरण

अनुदान संख्या–3 **उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर** **धनराशि लाख रू0 में**

मद का नाम	वास्तविक व्यय (2009–10)			आय व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय व्ययक अनुमान (2011–12)		
	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1–सचिवालय सामान्य सेवाएँ	1.66	1104.94	1106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2–लघु स्तरीय उद्योग	1091.27	4611.64	5702.91	1724.88	6377.71	8102.59	1781.27	6377.71	8158.98	1644.38	6554.41	8198.79
भारित	0.00	8.25	8.25	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
3–निदेशन एवं प्रशासन	0.00	2043.54	2043.54	0.00	2439.87	2439.87	0.00	2439.87	2439.87	0.00	2830.87	2830.87
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
4– विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00
4– लोक निमार्ण कार्य	84.00	0.00	84.00	94.30	0.00	94.30	94.30	0.00	94.30	115.50	0.00	115.50
5– औद्योगिक आस्थान	100.00	0.00	100.00	145.01	0.00	145.01	145.01	0.00	145.01	100.00	0.00	100.00
6–ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज	0.00	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग मतदेय	**1276.93**	**7840.06**	**9116.99**	**1964.19**	**8824.58**	**10788.77**	**2020.58**	**8824.58**	**10845.16**	**1859.88**	**9392.28**	**11252.16**
भारित	0.00	8.25	8.25	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00
कुल योग मतदेय एवं भारित	**1276.93**	**7848.31**	**9125.24**	**1964.19**	**8828.58**	**10792.77**	**2020.58**	**8828.58**	**10849.16**	**1859.88**	**9396.28**	**11256.16**

तालिका "ख"
(उद्देश्यवार वर्गीकरण)

अनुदान संख्या–3 निदेशन एवं प्रशासन योजना उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर धनराशि लाख रूपये में

मद का नाम	वास्तविक व्यय (2009–10)			आय व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय व्ययक अनुमान (2011–12)		
	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01–वेतन	0	1362.59	1362.59	0	1500.71	1500.71	0	1500.71	1500.71	0.00	1545.74	1545.74
02–मजदूरी	0	4.98	4.98	0	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
03–मंहगाई भत्ता	0	323.71	323.71	0	495.23	495.23	0	495.23	495.23	0.00	819.24	819.24
04–यात्रा व्यय	0	17.97	17.97	0	24.24	24.24	0	24.24	24.24	0.00	24.24	24.24
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	0.80	0.80	0	3.00	3.00	0	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00
06–अन्य भत्ते	0	154.46	154.46	0	180.09	180.09	0	180.09	180.09	0.00	180.09	180.09
07–मानदेय	0	5.70	5.70	0	5.70	5.70	0	5.70	5.70	0.00	5.70	5.70
08–कार्यालय व्यय	0	22.01	22.01	0	22.00	22.00	0	22.00	22.00	0.00	22.66	22.66
09–विद्युत देय	0	13.38	13.38	0	16.00	16.00	0	16.00	16.00	0.00	20.00	20.00
10–जलकर/जल प्रभार	0	3.07	3.07	0	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0.00	7.00	7.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0	19.83	19.83	0	20.00	20.00	0	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
13–टेलीफोन पर व्यय	0	12.39	12.39	0	17.40	17.40	0	17.40	17.40	0.00	18.00	18.00
14–स्टाफ कारों का क्रय	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल पर व्यय	0	32.72	32.72	0	40.00	40.00	0	40.00	40.00	0.00	40.50	40.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
17–किराया,उपशुल्क और कर स्वामित्व	0	9.13	9.13	0	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00
22–आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0	0.20	0.20	0	0.20	0.20	0	0.20	0.20	0.00	0.25	0.25
26–मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0	2.94	2.94	0	3.00	3.00	0	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00
29–अनुरक्षण	0	9.99	9.99	0	20.00	20.00	0	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00
42– अन्य व्यय मतदेय	0	0.40	0.40	0	0.41	0.41	0	0.41	0.41	0.00	0.45	0.45
भारित	0	0.00	0.00	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0	5.95	5.95	0	15.01	15.01	0	15.01	15.01	0.00	15.50	15.50
45–अवकाश यात्रा व्यय	0	1.78	1.78	0	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0.00	1.50	1.50
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0	7.49	7.49	0	8.70	8.70	0	8.70	8.70	0.00	10.00	10.00
49–चिकित्सा व्यय	0	20.12	20.12	0	30.18	30.18	0	30.18	30.18	0.00	32.00	32.00
51–वर्दी व्यय	0	0.93	0.93	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
योग मतदेय	**0.00**	**2043.54**	**2043.54**	**0.00**	**2439.87**	**2439.87**	**0.00**	**2439.87**	**2439.87**	**0.00**	**2830.87**	**2830.87**
भारित	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**

तालिका "ख"
(उद्देश्यवार वर्गीकरण)

अनुदान संख्या–3 जिला उद्योग केन्द्र योजना उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर धनराशि लाख रूपये में

मद का नाम	वास्तविक व्यय (2009–10)			आय व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय व्ययक अनुमान (2011–12)		
	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01–वेतन	0	3206.83	3206.83	0	3334.36	3334.36	0	3334.36	3334.36	16.08	3434.40	3450.48
02–मजदूरी	0	6.96	6.96	0	7.50	7.50	0	7.50	7.50	0.00	7.50	7.50
03–मंहगाई भत्ता	0	766.56	766.56	0	1100.34	1100.34	0	1100.34	1100.34	5.75	1820.23	1825.98
04–यात्रा व्यय	0	14.38	14.38	0	18.00	18.00	0	18.00	18.00	0.30	18.50	18.80
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	3.68	3.68	0	11.00	11.00	0	11.00	11.00	0.20	11.00	11.20
06–अन्य भत्ते	0	262.78	262.78	0	333.44	333.44	0	333.44	333.44	2.00	333.44	335.44
07–मानदेय	0	2.50	2.50	0	2.50	2.50	0	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50
08–कार्यालय व्यय	0	21.50	21.50	0	21.00	21.00	0	21.00	21.00	0.50	21.00	21.50
09–विद्युत देय	0	17.68	17.68	0	20.70	20.70	0	20.70	20.70	0.20	36.00	36.20
10–जलकर/जलप्रभार	0	2.39	2.39	0	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
11–लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	0	9.86	9.86	0	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	9.91	9.91	0	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0.40	10.00	10.40
13–टेलीफोन पर व्यय	0	8.79	8.79	0	10.50	10.50	0	10.50	10.50	0.10	10.50	10.60
14–स्टाफ कारों का प्रयोग	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15–गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल पर व्यय	0	15.27	15.27	0	20.50	20.50	0	20.50	20.50	0.00	20.50	20.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	2.82	2.82	0	3.00	3.00	0	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00
17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	0	4.96	4.96	0	13.68	13.68	0	13.68	13.68	0.20	13.68	13.88
29–अनुरक्षण	0	49.08	49.08	0	100.00	100.00	0	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
42–अन्य व्यय मतदेय	0	0.33	0.33	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
भारित	0	8.25	8.25	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
44–प्रशिक्षण तथा अन्य प्रसांगिक व्यय	0	13.35	13.35	0	32.37	32.37	0	32.37	32.37	0.00	32.37	32.37
45–अवकाश यात्रा व्यय	0	1.38	1.38	0.01	10.00	10.01	0.01	10.00	10.01	0.00	10.00	10.00
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	0	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधित स्टेशनरी का क्रय	0	14.92	14.92	0	18.00	18.00	0	18.00	18.00	0.00	19.00	19.00
49–चिकित्सा व्यय	0	17.85	17.85	0	30.00	30.00	0	30.00	30.00	0.00	35.00	35.00
51–वर्दी व्यय	0	0.85	0.85	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
योग मतदेय	**0.00**	**4455.23**	**4455.23**	**0.01**	**5113.89**	**5113.90**	**0.01**	**5113.89**	**5113.90**	**25.73**	**5956.52**	**5982.25**
भारित	**0.00**	**8.25**	**8.25**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**

तालिका "ख"
(उद्देश्यवार वर्गीकरण)
अनुदान संख्या–3 लघु उद्योगों की गणना योजना के अन्तर्गत न्यूक्लियस सेल की स्थापना उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर धनराशि लाख रूपये में

मद का नाम	वास्तविक व्यय (2009–10)			आय व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय व्ययक अनुमान (2011–12)		
	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
01–वेतन	10.33	0	10.33	10.44	0	10.44	10.44	0	10.44	11.78	0	11.78
03–मंहगाई भत्ता	1.96	0	1.96	3.45	0	3.45	3.45	0	3.45	6.24	0	6.24
04–यात्रा व्यय	3.40	0	3.40	4.50	0	4.50	4.50	0	4.50	4.50	0	4.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.00	0	0.00	0.10	0	0.10	0.10	0	0.10	0.10	0	0.10
06–अन्य भत्ते	1.19	0	1.19	1.15	0	1.15	1.15	0	1.15	1.86	0	1.86
07–मानदेय	0.45	0	0.45	0.60	0	0.60	0.60	0	0.60	1.00	0	1.00
08–कार्यालय व्यय	0.99	0	0.99	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	2.00	0	2.00
13–टेलीफोन पर व्यय	2.84	0	2.84	0.50	0	0.50	0.50	0	0.50	1.00	0	1.00
42–अन्य व्यय	9.37	0	9.37	0.50	0	0.50	0.50	0	0.50	0.50	0	0.50
44–प्रशिक्षण व्यय	0.00	0	0.00	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	0.50	0	0.50
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.00	0	0.00	0.35	0	0.35	0.35	0	0.35	1.00	0	1.00
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.35	0	0.35
47–कम्प्यटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	2.00	0	2.00
49–चिकित्सा व्यय	0.19	0	0.19	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00	2.35	0	2.35
51–वर्दी व्यय	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
योग मतदेय	**31.72**	**0.00**	**31.72**	**25.59**	**0.00**	**25.59**	**25.59**	**0.00**	**25.59**	**36.18**	**0.00**	**36.18**

तालिका "ग"
वित्तीय संसाधनों के स्रोत
निगमों कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों की वित्तीय आवश्यकतायें

अनुदान संख्या–3 — उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) — धनराशि लाख रूपये में

मद का नाम	वास्तविक व्यय (2009–10)			आय व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय व्ययक अनुमान (2011–12)		
	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अनुदान एवं लेखा शीर्षक												
3–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)												
2052–सचिवालय सामान्य सेवायें	1.66	1104.94	1106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (मतदेय)	1091.27	4611.64	5702.91	1724.88	6377.71	8102.59	1781.27	6377.71	8158.98	1644.38	6554.41	8198.79
(भारित)	0.00	8.25	8.25	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
2852–उद्योग (मतदेय)	0.00	2043.54	2043.54	0.00	2439.87	2439.87	0.00	2439.87	2439.87	0.00	2830.87	2830.87
(भारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
3453–विदेश व्यापार तथा निर्यात सम्वर्द्धन	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00
4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	84.00	0.00	84.00	94.30	0.00	94.30	94.30	0.00	94.30	115.50	0.00	115.50
4851–ग्राम तथा लघु उद्योग पूँजीगत परिव्यय	100.00	0.00	100.00	145.01	0.00	145.01	145.01	0.00	145.01	100.00	0.00	100.00
6851–ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज	0.00	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (मतदेय)	**1276.93**	**7840.06**	**9116.99**	**1964.19**	**8824.58**	**10788.77**	**2020.58**	**8824.58**	**10845.16**	**1859.88**	**9392.28**	**11252.16**
(भारित)	0.00	8.25	8.25	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00

1–गणना योजना, 2–जिला उद्योग केन्द्र योजना, 3–निदेशन एवं प्रशासन योजना
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर

अनुदान संख्या–3 **धनराशि लाख रू0 में**

मद का नाम	वास्तविक व्यय (2009–10)			आय व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय व्ययक अनुमान (2011–12)		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गणना योजना	31.72	0.00	31.72	25.59	0.00	25.59	25.59	0.00	25.59	36.18	0.00	36.18
जिला उद्योग केन्द्र योजना												
मतदेय	0.00	4455.23	4455.23	0.01	5113.89	5113.90	0.01	5113.89	5113.90	25.73	5956.52	5982.25
भारित	0.00	8.25	8.25	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
निदेशन तथा प्रशासन योजना												
मतदेय	0.00	2043.54	2043.54	0.00	2439.87	2439.87	0.00	2439.87	2439.87	0.00	2830.87	2830.87
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
कुल योग मतदेय	**31.72**	**6498.77**	**6530.49**	**25.60**	**7553.76**	**7579.36**	**25.60**	**7553.76**	**7579.36**	**61.91**	**8787.39**	**8849.30**
भारित	**0.00**	**8.25**	**8.25**	**0.00**	**4.00**	**4.00**	**0.00**	**4.00**	**4.00**	**0.00**	**4.00**	**4.00**

निदेशन एवं प्रशासन योजना

धनराशि लाख रूपये में

	वास्तविक व्यय 2009–10			आय व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय व्ययक अनुमान 2011–12		
	राजस्व	पूँजी गत	योग	राजस्व	पूँजी गत	योग	राजस्व	पूँजी गत	योग	राजस्व	पूँजी गत	योग
मतदेय	2043.54	0	2043.54	2439.87	0	2439.87	2439.87	0	2439.87	2830.87	0	2830.87
भारित	0.00		0.00	2.00	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0	2.00
योग	2043.54	0	2043.54	2441.87	0	2441.87	2441.87	0	2441.87	2832.87	0	2832.87

निदेशन एवं प्रशासन योजना के अन्तर्गत निदेशालय (मुख्यालय) क्षेत्रीय अधिकारी तथा उनके स्टाफ से सम्बन्धित वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय सम्मिलित किये जाते है। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अधिकारी/निदेशालय के विभिन्न कार्यालयों का नियंत्रण एवं परीक्षण करते हैं। मुख्य कार्य उद्योग के विकास के लिए उद्यमियों तथा उद्यमकर्ताओं को सलाह देना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, प्रदेश के औद्योगीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्यकलापों का समन्वय करना आदि है। जिसमें राज्य में औद्योगिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिले। निदेशन एवं प्रशासन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत/भरे पदों का विवरण निम्नवत् हैः–

पद	वर्ष 2009–10 पदों की सं0		वर्ष 2010–11 पदों की सं0		वर्ष 2011–12 पदों की सं0	
	स्वीकृत	भरे	स्वीकृत	भरे	स्वीकृत	भरे
1–उद्योग निदेशक	1	1	1	1	1	1
2–अपर निदेशक उद्योग	5	5	5	5	3	3
3–अर्थ नियंत्रक उद्योग	1	1	1	1	1	1
4–संयुक्त निदेशक उद्योग	16	15	16	13	19	13
5–उप अर्थ नियंत्रक उद्योग	1	1	1	1	1	1
6–उप निदेशक उद्योग	14	14	14	14	14	14
7–सह निदेशक उद्योग	22	22	24	24	26	26
8–वैयक्तिक सहायक	1	1	1	1	1	0
9–सांख्यकीय अधिकाारी	1	1	1	1	1	1
10–विधि अधिकारी	1	1	1	1	1	1
11–विशेष अधिकारी	1	1	2	2	2	2
योगः–	64	63	67	65	70	63
पदों की संख्या अराजपत्रित	1009	997	967	920	958	889
अधिसंख्य पदो की सॅख्या	0	0	0	0	0	41
कुल योगः–	1073	1060	1034	985	1028	993

नोट–स्थगित पदों को शामिल नहीं किया गया है ।

लघु स्तरीय उद्योग

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में लघु उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लघु उद्योगों के त्वरित विकास हेतु विभाग द्वारा कई योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण, लघु उद्योग इकाइयों को क्रय मूल्य में वरीयता, अवस्थापना, संबंधी सुविधायें, त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना, लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एकल मेज व्यवस्था आदि उल्लेखनीय है।

उपरोक्त व्यवस्था के फलस्वरूप प्रदेश में लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास में आशातीत प्रगति हुई है और अब इनके द्वारा आधुनिक वस्तुयें जैसे इलेक्ट्रानिक एवं इन्जीनियरिंग उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी आदि पर आधारित उद्योगों का भी विकास हो रहा है।

उपरोक्त संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 दिनांक 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हो गया है। जिसके अन्तर्गत लघु उद्योगों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था भी समाप्त हो गयी है। अधिनियम के अन्तर्गत अब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाइयों को मात्र मेमोरेन्डम कर पावती रसीद प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादन एवं सेवा सम्बन्धी इकाईयों की सूचनायें एकत्र की जा रही है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की वर्षवार प्रगति का विवरण अधोलिखित हैः–

वर्ष	लक्ष्य	लघु उद्योगों की स्थापना	पूँजी विनियोजन (करोड़ रू0 में)	रोजगार सृजन	उत्पादन (करोड़ रु0 में)
2004–2005	30000	30402	284.34	121102	431.25
2005–2006	30000	30282	262.79	125611	372.71
2006–2007	30000	28487	507.59	120876	944.08
2007–08	33000	31734	1270.83	148985	4625.21
2008–09	33000	33302	2046.80	171141	4996.21
2009–10	33000	34063	3474.12	175504	6751.82
2010–11 दिसम्बर 10	33000	25619	2196.24	133827	3682.89

लघु उद्योगो के विकास से सम्बंधित योजनाओं का विवरण

उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार योजना

(बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार)

प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शासनादेश संख्या 564/18–2–2009–30 (15)/2002 दिनांक 17 अगस्त, 2009 द्वारा प्रारम्भ की गई।

उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों को उनके हाई टर्न ओवर सफल एवं उत्कृष्ट उत्पाद, गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास हेतु पुरस्कार दिया जायेगा। जो निम्नवत श्रेणी में होंगेः–

1. **उ0प्र0 उद्यमी पुरस्कारः–** रू0 1.00 लाख (ड्राफ्ट) स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   यह पुरस्कार सभी श्रेणियों में चयनित प्रथम इकाईयों में से मास्टर तालिका के अंको व सर्वाधिक टर्नओवर के आधार पर सर्वोत्तम इकाई को दिया जायेगा।
2. **सूक्ष्म उद्योग श्रेणीः–** पुरस्कार – प्रथम– 25,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय – 20,000 (नगद),पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
3. **लघु उद्योग श्रेणीः–** पुरस्कार– प्रथम – 25,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय – 20,000 (नगद),पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
4. **मध्यम उद्योग श्रेणीः–** पुरस्कार– प्रथम – 25,000 (नगद),पदक ,प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय – 20,000 (नगद),पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
5. **सर्विस क्षेत्रः–** पुरस्कार– प्रथम – 25,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय – 20,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
6. **सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योगों में विशिष्ट प्रयासों हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमी पुरस्कारः–** अनु0जाति/जनजाति – 25,000 (नगद),पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   महिला उद्यमी – 20,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
7. **सूक्ष्म, लघु उद्योगों हेतु विशिष्ट गुणवत्ता उत्पादः–** कुल पुरस्कार संख्या 14 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रू0 15,000 (नगद) (पदक, प्रशस्ति पत्र)।
8. **सेवा क्षेत्र उद्यमी विशिष्ट पुरस्कारः–** कुल पुरस्कारों की संख्या–12 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रू0 15,000(पदक, प्रशस्ति पत्र)।

वर्ष 2011–112 में उक्त योजना हेतु रू0 10.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना का शुभारम्भ भारत सरकार के परिपत्र सं0 टी0एम0/यू0एन0डी0/2005 दिनांक 14.03.2006 के द्वारा किया गया जिसका मूल उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाईयों को क्लस्टर के रुप में विकसित करने का है ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के युग में इकाईयां अपनी उत्पाद क्षमता गुणवत्ता एवं कैपेसिटी उच्चीकरण कर सके। यह योजना सार्वजनिक, निजी, सहभागिता की मंशा पर आधारित है ताकि क्लस्टरों के विकास एवं प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थियों द्वारा ही उठाई जाए। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा क्लस्टर अनुमोदित होने के पश्चात डायग्नोस्टिक स्टडी हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है। डायग्नोस्टिक स्टडी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाती है, क्लस्टर प्रोजेक्ट में लागत का 60–80 प्रतिशत अधिकतम रु0 10 करोड़ केन्द्रांश शेष 40 प्रतिशत में से राज्य सरकार एवं क्लस्टर एस0पी0वी0 का योगदान होता है। अबतक 17 क्लस्टर क्रमशः ग्लास बीड क्लस्टर वाराणसी, कारपेट क्लस्टर भदोही, बुलन्दरी क्लस्टर जौनपुर, स्टील क्लस्टर लखनऊ, पैन इंजीनियरिंग क्लस्टर वाराणसी, सिल्क ब्रोकेट क्लस्टर वाराणसी, जूट वाल क्लस्टर गाजीपुर, चिकन इम्ब्राइडरी क्लस्टर बाराबंकी, टेक्सटाइल प्रिन्टिंग क्लस्टर गाजियाबाद, मिन्ट क्लस्टर बदायूं, राइस क्लस्टर बरेली, स्क्रीन प्रिन्टिंग क्लस्टर फर्रुखाबाद, वुडेन वीड क्लस्टर मेरठ, कारपेट क्लस्टर शाहजहांपुर, ब्लैक पाटरी क्लस्टर आजमगढ़, पावरलूम क्लस्टर मऊ, पावर लूम क्लस्टर झांसी शाफ्ट इण्टरवेन्शन हेतु तथा 05 क्लस्टर्स (कारपेट क्लस्टर भदोही, ग्लस बीड्स क्लस्टर वाराणसी, पाटरी क्लस्टर खुर्जा, सीजर्स क्ल्स्टर मेरठ तथा लेदर क्ल्स्टर चौरीचौरा गोरखपुर) हार्ड इन्टरवेन्शन हेतु भारत सरकार से स्वीकृत कराये गये है। योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में रु0 800.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योाजना

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना शासनादेश सं0 26/18–2–2007–30 (26/2003 दिनांक 16.01.2007) द्वारा प्रारम्भ की गई है।

उक्त योजनान्तर्गत निम्नलिखित सुविधायें का प्राविधान हैः–

- तकनीकी की खरीद और आयात में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 2.50 लाख।
- उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु मशीन/संयंत्रों के क्रय में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतक रु0 2.00 लाख।
- मशीनों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज का 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात अधिकतम रु0 50,000.00
- आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0 पर व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 2.00 लाख।
- परामर्श प्राप्त किये जाने पर व्यय की गई धनराशि का 90 प्रतिशत अधिकतम रु0 50,000.00

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में कुल 76 इकाईयों को रु0 113.84 लाख, वर्ष 2008–09 में कुल 108 इकाईयों को रु0 200.00 लाख तथा वर्ष 2009–10 में 122 इकाईयों को रु0 200.00 लाख की धनराशि उद्यमियों को उपादान हेतु वितरित की जा चुकी है। मासान्त दिसम्बर 2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राविधानित रु0 200.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष रु0 1,41,29,568.00 वितरित की जा चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रु0 200.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

तालिका –क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार योजना		10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00
2.	लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना	13.72	–	13.72	800.00	–	800.00	800.00	–	800.00	800.00	–	800.00
3.	उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) योजना	200.00	–	200.00	200.00	–	200.00	200.00	–	200.00	200.00	–	200.00
	योग(क)	**213.72**	**10.00**	**223.72**	**1000.00**	**10.00**	**1010.00**	**1000.00**	**10.00**	**1010.00**	**1000.00**	**10.00**	**1010.00**

तालिका –ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वेतन	–शून्य–											
2.	मंहगाई भत्ता												
3.	यात्रा भत्ता												
4.	अन्य भत्ता												
5.	कार्यालय व्यय आदि												
	योग(ख)												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग– 08–लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार योजना 42–अन्य व्यय			10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00
2.	03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग–0103 लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना 27–सब्सिडी		13.72	–	13.72	800.00	–	800.00	800.00	–	800.00	800.00	–	800.00
3	03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग –16–उ0प्र0सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना 27–सब्सिडी		200.00	–	200.00	200.00	–	200.00	200.00	–	200.00	200.00	–	200.00
	योग(ग)		**213.72**	**10.00**	**223.72**	**1000.00**	**10.00**	**1010.00**	**1000.00**	**10.00**	**1010.00**	**1000.00**	**10.00**	**1010.00**

हस्तकला विकास हेतु योजनाओं का विवरण

हस्तशिल्प उद्योग

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार सफलताएं हैं और उत्तर प्रदेश अपनी परम्परागत शैली के कारण अपने हस्तशिल्प उद्योगों में विशिष्ट स्थान रखता है।मुख्यतः बनारसी शिल्प में ब्रोकेट, भदोही व मिर्जापुर में कालीन, लखनऊ में चिकन तथा आगरा का कलात्मक संगमरमर का सामान, मुरादाबाद तथा वाराणसी में पीतल के पात्र एवं सहारनपुर में नक्काशीदार लकड़ी स्टोन आदि की मॉग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है। देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 70 प्रतिशत हैं। एन0सी0ए0आई0आर0 द्वारा वर्ष 1995–96 में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर दिसम्बर 1997 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2,83,804 इकाईयों में 11,76,529 शिल्पी कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 25 लाख हस्तशिल्पी अनुमानित है। उपरोक्त सर्वेक्षण में अनुमानित उत्पादन 1800 करोड़ एवं उत्पादन लागत रू0 800 करोड़ अनुमानित है। राज्य सरकार ऐसे हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनावरत रूप से प्रत्यनशील रही है तथा इसके समुचित विकास हेतु योजनाबद्व रूप से निम्न योजनाएं चलायी जा रही हैं।

प्रदेश के विशिष्ट हस्तशिल्पियों को राज्य पुरस्कार प्रदान करने की योजना

(बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार)

यह योजना वित्तीय वर्ष 1977–78 से प्रारम्भ की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पयों को उच्च–कोटि की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है इसी उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को गुण दोष के आधार पर चयन कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 10 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को राज्य पुरस्कार तथा हस्तशिल्पियों में दक्ष 10 शिल्पियों को दक्षता पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2007–08 तक 314 हस्तशिल्पियों को इस पुरस्कार से लाभान्वित गया है। वर्ष 2008–09 में 20 हस्तशिल्पियों तथा 2009–10 में 20 हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया गया है। 2010–11 में भी 20 हस्तशिल्पियों को चयनित कर सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मनाया जाना

यह योजना वर्ष 1961–62 से प्रारम्भ की गई है। प्रदेश के विभिन्न हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को लोकप्रियता में उत्तरोत्तर वृद्वि करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विकास आयुक्त (हस्त0), भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार देश एवं प्रदेश में एक साथ दिनांक 8 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री पर विशेष छूट प्रदान की जाती है तथा प्रदर्शनी/गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है तथा जनपद के ख्याति प्राप्त अनुभवी शिल्पकारों की कार्य शालाओं का आयोजन किया जाता है।

अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना अन्तर्गत सहायता योजना

समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) तथा प्रशिक्षण उत्पादन–कम–प्रसार केन्द्र (टी0पी0ई0सी0) को स्थापना हेतु उ00प्र0 सरकार द्वारा रू0 38.88 लाख के अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर योजना प्रारम्भ की गयी थी।

सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) एवं प्रशिक्षण–कम–उत्पादन–कम–प्रसार केन्द्र (टी0पी0ई0सी0) द्वारा शिल्पियों के कार्यो को आधुनिक मशीनों/औजारों/उपकरणों के माध्यम से जनपद अलीगढ़ में गृह उद्योग के रूप में चल रहे ताला उद्योग के कारीगरों को ताला उद्योग के आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कार्य दशा में सुधार लाने तथा उनसे सम्बन्धित अन्य उद्योगों आदि को बढ़ावा देने में सहायक सिद्व हुई है।

योजनान्तर्गत दो वर्षीय प्रशिक्षण–कार्यक्रम के माध्यम से निर्धन शिल्पकारों एवं उनके बच्चों को जिनकी शिक्षा कम से कम 8 पास हो को विभिन्न ट्रेडो जैसेः– फिटर कम वेल्डर तथा मशीनिष्ट में प्रारम्भिक वर्ष 1986 से वर्ष 2008 तक 662 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया जिसमें से 525 प्रशिक्षार्थी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर इस उद्योग के आधुनिक तकनीकी के लाभ से लाभान्वित हुये हैं। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों में से 80 प्रतिशत लाभार्थी विभिन्न उद्योग में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं अथवा स्वयं का उद्योग प्रारम्भ कर चुके हैं।

जनपद रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना योजना

जनपद रामपुर में महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रामपुर की सूचना अनुसार जनपद में 6000 शिल्पी, जरीजरदोजी एवं 5000 शिल्पी पेंचवर्क में लगे हैं।

वर्तमान में इस क्षेत्र के उत्पाद स्थानीय तथा देश के अन्य राज्यों में ही बिकते हैं तथा समय समय पर लगने वाले व्यापार मेलों व प्रदर्शनियां भी इनके लिये विक्रय का अच्छा साधन है। कुछ गिने चुने लोगों द्वारा दिल्ली स्थित निर्यातकों के माध्यम से लगभग रू0 50.00 करोड़ का निर्यात यू0के0, यू0एस0ए0, जापान, सउदी अरब देशों को जरी व जरदोजी का निर्यात होता है।

दिनांक 30–7–2004 की हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की सहभागिता में एक दिवसीय सेमिनार रामपुर में आयोजित किया गया था। क्षेत्र के हस्तशिल्पियों के स्वंय सहायता समूह के सदस्यों द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प उत्पादों के विक्रताओं एवं उद्यमियों आदि द्वारा जनपद के हस्तशिल्प की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहुॅच को बढ़ाने के लिये एवं इनके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की मॉग उठाई गयी थी। इस प्रकार की कतिपय सुविधायें शिल्पियों द्वारा निजी निवेश से नहीं जुटाई जा सकती जो उत्पादों की गुणवत्ता के लिये आवश्यक है। अतः शिल्पकारों के तकनीकी ज्ञान व कला कौशल हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के साथ ही सामान्य सुविधा केन्द्र भी स्थापित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई। जनपद रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य सुविधा केन्द्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव के आलोक में रू0 567.12 लाख की योजना स्वीकृत की गई। जिसमें रू0 372.73 लाख भवन निर्माण के लिये, रू0 67.00 लाख यन्त्र सन्यत्रों की स्थापना के लिये तथा रू0 127.40 लाख आवर्ती व्यय मद् में निर्धारित है।

उक्त परियोजना के भवन का निर्माण कार्य परियोजना की निर्माण एजेन्सी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है जिसे वर्ष 2005–06 में स्वीकृत रू0 100.00 लाख, वर्ष 2006–07 में रू0 100.00 लाख, वर्ष 2007–08 में रू0 100.00 लाख एवं वर्ष 2008–09 में रू0 72.73 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। परियोजना की निर्माण एजेन्सी उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 द्वारा रू0 430.40 लाख का संशोधित प्रस्ताव भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराया गया है।

हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

अ– हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना

हस्तशिल्प एक घरेलू उद्यम है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कौशल का प्रशिक्षण जीवन शैली में स्वयमेव चलता रहता है। यह परम्परागत हस्तकला तेजी से बदले बाजार के अनुरूप सक्षम होना आवश्यक है जिसके लिये कौशल विकास व नई डिजाईनों के नये–नये आयाम स्थापित करने के लिये हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कराते हुये वर्ष 2007–08 से प्रदेश में संचालित करवायी गयी है। वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक प्रदेश के निम्न हस्तशिल्पी बाहुल्य जनपदों में वहॉ प्रचलित शिल्प के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था वाराणसी (लकड़ी के खिलौने), आगरा (संगमरमर पच्चीकारी), मुरादाबाद (पीतल कला), लखनऊ (चिकन), झॉसी (पीतलकला), बरेली (बेंत–बॉस), गोरखपुर (टेराकोटा), बॉदा (सजर पत्थर), मथुरा (पेंटिग), आजमगढ (ब्लैक पाटरी), बुलन्दशहर (खुर्जा) (पाटरी), फिरोजाबाद (ग्लास आर्ट), फर्रूखाबाद (जरी जरदोजी), ललितपुर (पीतल कला), चित्रकूट (लकड़ी के खिलौने) जिससे वर्ष 2007–08 में 150, वर्ष 2008–09 में 150 तथा वर्ष 2009–10 में 150 तथा 2010–11 में 150 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया किन्तु योजना को और अधिक प्रभावी/व्यापक बनाये जाने के उददेश्य से वर्ष 2010–11 में निम्न जनपदों में वहॉ प्रचलित शिल्प में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं वाराणसी (लकड़ी के खिलौने), आगरा (संगमरमर पच्चीकारी), मुरादाबाद (पीतल कला), झॉसी (पीतलकला), बरेली (बेंत–बॉस), गोरखपुर (टेराकोटा), बॉदा (सजर पत्थर), आजमगढ (ब्लैक पाटरी), फर्रूखाबाद (जरी जरदोजी), ललितपुर (पीतल कला), चित्रकूट (लकड़ी के खिलौने), बहराइच में (गेहूॅ के डण्ठल की कला), महोबा (पत्थर पर नक्काशी), कानपुर नगर (पंजादरी), इटावा (वीड्स)।

इस योजनान्तर्गत प्रशिक्षक को मानदेय के रूप में रू0 4,000/– मासिक मानदेय एवं रू0 1,000/– कच्चेमाल हेतु प्रदान किया जाता है तथा प्रशिक्षार्थियों को रू0 500/– मासिक मानदेय के रूप में प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित कराया जाता है। एक बैच में 10 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 माह का होता है। प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थियों द्वारा स्वरोजगार स्थापित करते हुये अपने जीवन स्तर को ऊॅचा उठाया जा रहा है।

ब– निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

यद्यपि कि देश में प्रदेश से कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र की सहभागिता 70 प्रतिशत से अधिक रही है किन्तु प्रायः सभी उत्पाद परम्परागत डिजाइनों तक सीमित एवं उन पर आधारित हैं जिन्हें निरन्तर विकसित हो रही मॉग के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता को दृष्टि रखते हुये 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत, योजना को स्वीकृत कराते हुये वर्ष 2007–08 से संचालित करायी गयी। वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक प्रदेश के निम्न हस्तशिल्पी बाहुल्य जनपदों में वहॉ प्रचलित शिल्प के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था वाराणसी (वीड्स), आगरा (फुटवियर), मुरादाबाद(पीतल), लखनऊ (जरी जरदोजी), बुलन्दशहर (खुर्जा) (पाटरी), फिरोजाबाद (ग्लास), रामपुर(जरी जरदोजी,पैचवर्क) मुरादाबाद (पीतल क्राफ्ट), लखनऊ (चिकन वर्क), सहारनपुर (वुड् क्राफ्ट), मिर्जापुर (कालीन), सन्तरविदास नगर (भदोही)(कालीन) जिसके अर्न्तगत वर्ष 2007–08 में 240, वर्ष 2008–09 में 240 तथा वर्ष 2009–10 में 240 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, किन्तु योजना को और अधिक प्रभावी/व्यापक बनाये जाने के उददेश्य से वर्ष 2010–11 में निम्न जनपदों में जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से वहॉ प्रचलित शिल्प में डिजाइन वर्कशाप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराये गये हैं वाराणसी (वीड्स), आगरा (फुटवियर), मुरादाबाद(पीतल क्राफ्ट), झॉसी (पीतल कला), बुलन्दशहर (खुर्जा) (पाटरी), ललितपुर (साड़ी टेक्सटाइल), गाजियाबाद (वुड कार्विंग) तथा मैपडाईटेक्स, कानपुर संस्था द्वारा कानपुर नगर (लेदर फुटवियर), लखनऊ (चिकन वर्क), मिर्जापुर (कालीन), सन्तरविदास नगर–भदोही (कालीन), कन्नौज (जरी जरदोजी)।

योजनान्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनर्स को हस्तशिल्प निर्यात सम्बर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के माध्यम से आमन्त्रित किया जाता है एवं आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम तैयार कराकर वर्कशाप कराये जाते हैं। प्रत्येक वर्कशाप में 20 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिन्हें वर्तमान में निर्यातक अपने कार्यशाला में ही प्रशिक्षित करके उनसे काम लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल 240 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रदेश के निर्यात में सहयोग प्रदान करेगें।

स–सहयोगीय व्यपारियों के अधीन डिजाइन विकास हेतु प्रशिक्षण की योजना

सामान्यतः बिचौलिया कहकर उन व्यापारियों को शिल्पकारों के शोषक के रूप में सन्दर्भित किया जाता है किन्तु ऐसे व्यापारियों द्वारा शिल्पकार को आवश्यक कच्चामाल, आवश्यकतानुरूप डिजाइन देकर बाजार की मॉग के दृष्टिगत उत्पाद बनवाकर खरीद लिया जाता है। यह सही है कि व्यापारी केवल मजदूरी भर पाता है किन्तु यदि ऐसे सहयोगी व्यापारी न हो तो शिल्पकारों को काम न मिल पायेगा एवं वे कहीं बद्तर स्थिति में जीवनयापन को मजबूर होगे इसी को दृष्टिगत रखते हुये इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कराते हुये वर्ष 2007–08 से प्रदेश में संचालित कराया गया है। वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक प्रदेश के निम्न हस्तशिल्पी बाहुल्य जनपदों में वहॉ प्रचलित शिल्प के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था वाराणसी (साड़ी टेक्सटाईल, गिफ्ट आईटम), आगरा (फुटवियर, पत्थर की मूर्तियॉ, रेशमजरी), मुरादाबाद (मेटल हस्तशिल्प), लखनऊ (जरी जरदोजी, चिकन), सहारनपुर (वुड कार्विंग, वुड क्राफ्ट), झॉसी (हैण्डलूम टेक्सटाईल), बरेली (जरी जरदोजी), मथुरा (साड़ी प्रिटिंग), बुलन्दशहर (खुर्जा) (सिरेमिक्स कला), फिरोजाबाद (ग्लास आर्ट), फर्रूखाबाद (जरी जरदोजी), ललितपुर(पीतल क्राफ्ट), बिजनौर (वुड कार्विंग), अलीगढ (मेट्ल आर्ट), मिर्जापुर (कारपेट ड्रगेट), मेरठ (जेम ज्वैलरी), सन्तरविदास नगर (भदोही) (कारपेट ड्रगेट), मैनपुरी (तारकशी), रामपुर (पैचवर्क जरी) में संचालित कराते हुये वर्ष 2007–08 में 240, वर्ष 2008–09 में 240 तथा वर्ष 2009–10 में 240 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कराया गया किन्तु योजना को और अधिक प्रभावी/व्यापक बनाये जाने के उददेश्य से वर्ष 2010–11 में निम्न जनपदों में वहॉ प्रचलित शिल्प में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराये गये हैं आगरा (पत्थर की मूर्तियॉ), मुरादाबाद (मेटल हस्तशिल्प), लखनऊ (बोन कार्विंग), झॉसी (हैण्डलूम टेक्सटाईल), बरेली (जरी जरदोजी), मथुरा (साड़ी प्रिटिंग), आजमगढ़ (बनारसी साड़ी) फिरोजाबाद (ग्लास आर्ट), ललितपुर(हैण्डलूम टेक्सटाईल), बिजनौर–नगीना (वुड कार्विंग), अलीगढ (मेट्ल आर्ट), मिर्जापुर (कारपेट ड्रगेट), मेरठ (कलात्मक कैंची), मैनपुरी (तारकशी), रामपुर (पैचवर्क जरी), इलाहाबाद (जूट हस्तशिल्प), गाजीपुर (जूट वाल हैंगिंग), गोण्डा (बॉस–बेंत), जालौन (कालीन), पीलीभीत (जरी जोब), गाजियाबाद (ब्लाक मेकिंग), श्रावस्ती (थारू इम्ब्राइडरी)

योजनान्तर्गत सहयोगी व्यापारी को रू0 2000/– प्रति प्रशिक्षार्थी का मुआवजा एवं प्रशिक्षार्थी को रू0 500/– का मासिक स्टाईपेण्ड देकर 6 माह की अवधि के डिजाइन विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कराया जाता है जिसके लिये प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर 10 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रदेश के उपरोक्त अंकित 22 जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराये गये हैं, जिसके अन्तर्गत कुल 220 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित कराये गये हैं। प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों द्वारा स्वंय का रोजगार स्थापित किया जा रहा है या पहले से स्थापित हस्तशिल्प व्यापार में बढ़ोत्तरी करते हुये अपना आर्थिक एवं सामाजिक स्तर ऊॅचा उठा रहे हैं।

विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना

प्रदेश में शिल्पियों की बाहुल्यता एवं उनकी कार्यकुशलता के कारण ही कलाकृतियों का विदेशों में ख्याति के साथ ही निर्यात भी दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है परन्तु दस्तकार अपनी आर्थिक अक्षमता के कारण दिन–प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण दस्तकारी कार्य के साथ साथ शारीरिक रूप से भी शिथिल हो जाते हैं और वे जीवकोपार्जन के योग्य नहीं रह जाते हैं। इनमें कई ऐसे हस्तशिल्पी भी हैं जिन्हें केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कारों एवं उपाधियों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार के दस्तकारों की कला के प्रति समर्पित भावना एवं प्रदेश के गौरव को बढ़ाने में दिये गये योगदान को दृष्टिगत रखते हुये 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत विशिष्टि शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना को स्वीकृत कराते हुये वर्ष 2007–08 से प्रदेश में प्रभावी बनाया गया है। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू है।

योजनान्तर्गत राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार / राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार एवं शिल्प गुरू पुरस्कार पाने वाले प्रदेश के ऐसे विशिष्ट हस्तशिल्पी जिनकी आयु कम से कम 50 की होनी चाहिए, अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है अर्थात चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक इस पेंशन हेतु वे अधिकृत होते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग शिल्पकार/दस्तकार होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट प्रदान की जाती है, जिसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र देय होता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 90, वर्ष 2008–09 में 105 तथा वर्ष 2009–10 105 तथा वर्ष 2010–11 में 130 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को पेंशन वितरण कर लाभान्वित किया गया है।

गढ़मुक्तेश्वर (गाजियाबाद) के मूढ़ा हस्तशिल्प का तकनीकी उन्नयन एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की योजना

यह योजना गढ़मुक्तेश्वर (गाजियाबाद) के मूढ़ा हस्तशिल्प का तकनीकी उन्नयन एवं सामान्य सुविधा केन्द्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दस्तकारों की सहायता हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी है जो कि वर्ष 2007–08 से संचालित है। प्रशिक्षण केन्द्र किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है जिसमें हस्तशिल्पियों के लिये कच्चेमाल की उपलब्धता, डिजाइन डवलपमेन्ट का प्रशिक्षण एवं बेहतर टूल्स एवं तकनीकी सुविधा उपलब्ध करायी जाती है जिससे इन दस्तकारों को अपने उत्पाद के लिये अधिक उचित मूल्य प्राप्त होता है। प्रशिक्षण केन्द्र में 50 प्रशिक्षार्थियों को प्रति बैच में दो माह का प्रशिक्षण दिया जाता है प्रति वर्ष इस प्रकार के पॉच बैच संचालित किये जाते हैं प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में रू0 500/– प्रति प्रशिक्षार्थी मानदेय दिया जाता है। उक्त प्रशिक्षण के दौरान द्वितीय माह में एक विकसित टूल किट जिसकी अनुमानित लागत रू0 1,000/– प्रति लाभार्थी उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2007–08 में 150 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, वर्ष 2008–09 में 250 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, वर्ष 2009–10 में 250 तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 में भी 250 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

योजनान्तर्गत प्रशिक्षित हुये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थियों द्वारा या तो अपना स्वंय का शिल्प स्थापित किया गया है या उनके द्वारा पूर्व में स्थापित शिल्पकला को उत्कृष्ट श्रेणी से बनाकर पूर्व में प्राप्त हो रही आय में बढ़ोत्तरी की गयी है जिससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में वृद्वि हुयी है।

तालिका –क

(रूपये लाख में)

वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(क)	आयोजनेत्तर योजनायें												
1	प्रदेश के हस्तशिल्पियों को राज्य पुरस्कार प्रदान करने की योजना		4.00	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00
2	अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मानाया जाना		1.94	1.94		2.00	2.00		2.00	2.00		3.00	3.00
3	अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों को सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से सम्बंधित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना के अर्न्तगत सहायता योजना।		7.00	7.00		7.00	7.00		7.00	7.00		7.00	7.00
(ख)	आयोजनागत योजनायें												
1	जनपद रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना येाजना				45.00		45.00	45.00		45.00	0.00		0.00
2	हस्तशिल्पियों का कौशल विकास/ डिजाइन विकास हेतु प्रशिक्षण/ डिजाइन वर्कशाप	50.00		50.00	60.00		60.00	60.00		60.00	60.00		60.00
3	विशिष्ट शिल्पकार के लिए पेंशन योजना	12.60		12.60	15.60		15.60	15.60		15.60	18.00		18.00
4	जनपद गाजियाबाद (गढ़मुक्तेश्वर) के मूढ़ा हस्तशिल्प का तकनीकी उन्नयन एवं सामान्य सुविधा केन्द्र	33.00	–	33.00	33.00		33.00	33.00		33.00	50.00		50.00
	योग(क)	**95.60**	**12.94**	**108.54**	**153.60**	**11.00**	**164.60**	**153.60**	**11.00**	**164.60**	**128.00**	**12.00**	**140.00**

तालिका –ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वेतन												
2.	मंहगाई भत्ता												
3.	यात्रा भत्ता					–शून्य–							
4.	अन्य भत्ता												
5.	कार्यालय व्यय आदि												
	योग(ख)												

तालिका –ग

वित्तीय संसाधनों के श्रोत (रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**आयोजनेत्तर योजनायें:–** 03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग 05–विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार 42–अन्य व्यय			4.00	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00
2	03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग 04–अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मनाया जाना, 42–अन्य व्यय			1.94	1.94		2.00	2.00		2.00	2.00		3.00	3.00
3.	03''3453–विदेश व्यापार तथा निर्यात सम्बर्द्धन 194–निर्यात सम्बर्द्धन तथा विपणन निकाय की सहायता 04–अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों को सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से सम्बंधित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यलाय की परियोजना के अर्न्तगत सहायता 20–सहायक अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)			7.00	7.00		7.00	7.00		7.00	7.00		7.00	7.00

1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**आयोजनागत योजनायें:** 03''4851–ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय 04–जनपद रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 24–वृहत निर्माणकार्य				45.00		45.00	45.00		45.00			
2	03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग 18–हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप 42–अन्य व्यय	50.00		50.00	60.00		60.00	60.00		60.00	60.00		60.00
3	03''2851–ग्राम एवं लघु उद्योग, 102–लघु उद्योग–आयोजनागत, 800–अन्य व्यय 04–शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना 20 सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन)	12.60		12.60	15.60		15.60	15.60		15.60	18.00		18.00
4	**अनुदान सं0''83''** 2851– ग्राम तथा लघु उद्योग 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 05–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद गाजियाबाद में मूढ़ा हस्तशिल्प का तकनीकी उन्नयन , 27–सब्सिडी	33.00	–	33.00	33.00		33.00	33.00		33.00	50.00		50.00
	योग	**95.60**	**12.94**	**108.54**	**153.60**	**11.00**	**164.60**	**153.60**	**11.00**	**164.60**	**128.00**	**12.00**	**140.00**

औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

नई विश्व आर्थिक नीति एवं ग्लोबलाईजेशन के आलोक में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार निवेशकों को प्रदेश एवं जनपदों में निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था करें। नई औद्योगिक सेवा निवेश नीति–2004 प्रस्तर 34.81 में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं एवं औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक धनराशि एवं सहायता उपलब्ध करायेगी।

उ0प्र0 में विभिन्न आकारों के बृहद 80 एवं मिनी 168 औद्योगिक आस्थान स्थापित हैं। बृहद औद्योगिक आस्थान 56 जिलों में 80 स्थानों पर स्थापित हैं जिनमें 983 शेड और 3595 भूखण्ड विकसित हैं। जिनमें 2612 इकाइयॉ स्थापित हैं। इन बृहद औद्योगिक आस्थानों की स्थापना 7वें एवं 8वें दशक में की गयी है और 168 मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना विकास खण्ड स्तर पर वर्ष 1985 से 1992 के मध्य की गयी हैं जिसमें 8061 भूखण्ड विकसित हैं। उक्त औद्योगिक आस्थानों में आवश्यक सुविधाओं के लिए 10 वर्ष से उच्चीकरण के लिए कोई धनराशि/सहायता की व्यवस्था न होने से अवस्थापना सुविधा की कमी होती चली गयी है। अतः वर्तमान के विश्व प्रतिबद्धता के युग में लघु उद्यमियों को अपनी इकाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की नितान्त आवश्यकता है।

बृहद औद्योगिक आस्थानों में इस योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यो हेतु वर्ष 2007–08 में रू0 398.00 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है जिससे निम्नलिखित 16 जनपदों में 16 बृहद औद्योगिक आस्थानों में सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण के निर्माण कार्य कराये गये हैं।

क्रमॉक	औद्योगिक आस्थान का नाम	जनपद का नाम	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत लाख रू0 में
1	2	3	4
1.	औद्योगिक आस्थान, सलेमपुर, देवरिया	देवरिया	रू0 30.35
2.	औद्योगिक आस्थान, रामकोला	कुसीनगर	रू0 25.53
3.	औद्योगिक आस्थान, चौडगरा	फतेहपुर	रू0 22.33
4.	औद्योगिक आस्थान, कालपी रोड पनकी	कानपुर नगर	रू0 40.04
5.	औद्योगिक आस्थान, रनियॉ	कानपुर देहात	रू0 12.25
6.	औद्योगिक आस्थान, फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद	रू0 44.78
7.	औद्योगिक आस्थान, मकरन्द नगर	कन्नौज	रू0 13.65
8.	औद्योगिक आस्थान, गोलागोकरन, राजापुर	लखीमपुर खीरी	रू0 15.40
9.	औद्योगिक आस्थान, नघेटा	हरदोई	रू0 13.84
10.	औद्योगिक आस्थान, खैराबाद सराय मल्लई	सीतापुर	रू0 34.90
11.	औद्योगिक आस्थान, रसड़ा	बलिया	रू0 10.66
12.	औद्योगिक आस्थान, बजरिया	महोबा	रू0 13.95
13.	औद्योगिक आस्थान, गद्दोपुर,बीकापुर	फैजाबाद	रू0 06.70
14.	औद्योगिक आस्थान, सी0बी0गंज,भोजीपुरा	बरेंली	रू0 72.94
15.	औद्योगिक आस्थान, रोजा,	शाहजहॉपुर	रू0 24.68
16.	औद्योगिक आस्थान, हरथला	मुरादाबाद	रू0 16.00
	कुल योग		रू0 398.00

वर्ष 2008–09 में प्रदेश के निम्न 07 जनपदों में महती आवश्यकतानुसार कार्य कराये गये है, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क्रमॉक	औद्योगिक आस्थान का नाम	जनपद का नाम	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत लाख रू0 में
1	2	3	4
1.	औद्योगिक आस्थान, परतापुर, मेरठ	मेरठ	रू0 40.00
2.	औद्योगिक आस्थान, ललितपुर	ललितपुर	रू0 15.01
3.	औद्योगिक आस्थान, बारांबंकी	बाराबंकी	रू0 14.99
4.	औद्योगिक आस्थान, चौदपुर,महेशपुर,वाराणसी	वराणसी	रू0 15.30
5.	औद्योगिक आस्थान, एटा	एटा	रू0 08.21
6.	औद्योगिक आस्थान, काशगंज,कॉशीराम नगर	कॉशीराम नगर	रू0 02.00
7.	औद्योगिक आस्थान, सौराव, इलाहाबाद	इलाहाबाद	रू0 04.49
	कुल योग		रू0 100.00

वित्तीय वर्ष 2009–10 में निम्न 05 जनपदों के 05 औद्योगिक आस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण से सम्बंधित निर्माण कार्य कराये गये हैं।

क्रमॉक	औद्योगिक आस्थान का नाम	जनपद का नाम	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत लाख रू0 में
1	2	3	4
1.	औद्योगिक आस्थान, परतापुर, मेरठ	मेरठ	रू0 40.00
2.	औद्योगिक आस्थान, अलीगढ़	अलीगढ़	रू0 5.97
3.	औद्योगिक आस्थान, लौनी,	गाजियाबाद	रू0 24.03
4.	औद्योगिक आस्थान, सुखपालनगर	प्रतापगढ़	रू0 11.74
5.	औद्योगिक आस्थान, घोसी	मऊनाथभंजन	रू0 18.26
	कुल योग		रू0 100.00

वर्ष 2010–11 में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पॉच औद्योगिक आस्थानों बिजनौर, कौंच(जालौन), आजमगढ़, नन्दगंज(गाजीपुर) एवं चुनार(मिर्जापुर) में निर्माण कार्य करवाये जा रहें है।

वर्ष 2011–12 के लिए औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु अन्य बृहद औद्योगिक आस्थानों में महती आवश्यकता के निर्माण कार्य कराने के लिए रू0 100.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

तालिका –क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	100.00	––	100.00	100.00	––	100.00	100.00	––	100.00	100.00		100.00
	योग(क)	**100.00**	**––**	**100.00**	**100.00**	**––**	**100.00**	**100.00**	**––**	**100.00**	**100.00**		**100.00**

तालिका –ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वेतन	–शून्य–											
2.	मंहगाई भत्ता												
3.	यात्रा भत्ता												
4.	अन्य भत्ता												
5.	कार्यालय व्यय आदि												
	योग(ख)												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	03''4851''–ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, 800– अन्य व्यय, 06–औद्योंगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण													
	24–बृहत निर्माण कार्य		40.00		40.00	40.00		40.00	40.00		40.00	40.00		40.00
	25–लघु निर्माण कार्य		30.00		30.00	30.00		30.00	30.00		30.00	30.00		30.00
	29– अनुरक्षण		30.00		30.00	30.00		30.00	30.00		30.00	30.00		30.00
	योग		**100.00**	––	**100.00**	**100.00**	––	**100.00**	**100.00**	––	**100.00**	**100.00**		**100.00**

जिला उद्योग केन्द्र योजना

जिला उद्योग केन्द्र योजना का शुभारम्भ वर्ष 1978–79 में किया गया है। इस योजना का प्रारम्भ निम्नलिखित उद्वेश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है।

1–लद्यु एवं ग्रामीण उद्योंगो को प्रोत्साहित करके रोजगार के अधिकाधिक सृजन एवं औद्योगीकरण की गति में अधिक तीव्रता लाना ।

2–उद्योंगो की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को एक ही छत के नीचे उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एवं सभी सुविधांए उपलब्ध कराना ।

3–लद्यु एवं छोटे उद्योंगो के विकास के लिये अवस्थापना का प्रबन्धक,तकनीकी उद्यमिता विकास तथा सर्वेक्षण करना ।

4–लद्यु उद्यमियों की विभिन्न स्तरों पर अनुमतियॉ/स्वीकृतियॉ शीघ्र जारी करने के उद्वेश्य से जिला उद्योग बन्धु की स्थापना प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई है।

उपरोक्त उद्वेश्यों की पूर्ति को कार्यरूप देने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की है। इन जिला उद्योग केन्द्रों में लद्यु उद्योगों के अस्थायी/स्थाई पंजीकरण भूमि एवं भवन, कच्चा माल, मशीन यंत्र, उपकरण संयत्र तकनीकी मार्गदर्शन ऋण एवं विद्युत आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। जिला उद्योग केन्द्र का वरिष्ठतम अधिकारी महाप्रबन्धक होता है जिसके अधीन सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु प्रबन्धक (विपणन) परियोजना प्रबन्धक एवं प्रबन्धक ऋण आदि कार्यरत है। तहसील/ब्लाक स्तर, पर उद्यमियों को जानकारी एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सहायक प्रबन्धक कार्यरत है।

जिला उद्योग केन्द्र का शुभारम्भ भारत सरकार की सहायता से किया गया था जिसे प्रदेश सरकार द्वारा पुनः परीक्षण कराकर महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर प्रत्येक जनपद में 30 पद रखे जाने का निर्णय लिया गया । जो अब प्रदेश के पुराने 48 जनपदों में यह पैटर्न लागू है जिसमें महाप्रबन्धक तथा 9 सहायक प्रबंधक को सम्मिलित करते हुये 30 अधिकारी एवं कर्मचारी है।

आयोजनेत्तर पक्ष के 21 जनपदों –कानपुर देहात, महोबा, महराजगंज, सिद्वार्थ नगर सोनभद्र फिरोजाबाद, मऊ, भदोही , कुशीनगर , कौसाम्बी , महामायानगर, गौतमबुद्व नगर, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, चंदोली , ज्योतिबाफूले नगर,अम्बेदकर नगर, कन्नौज, बागपत तथा कांशीराम नगर में अभी महाराष्ट्रा पैटर्न लागू नहीं हुआ है। शासन द्वारा मैदानी क्षेत्र में औरैया, सन्तकबीर नगर तथा छत्रपति शाहूजी महराज नगर तीन और नये जनपदों का गठन किया गया है। इन जनपदों में अभी जिला उद्योग केन्द्र स्थापित नहीं है। जिनकी स्थापना हेतु प्रयास जारी है ताकि इन जनपदों में भी औद्योगिकीकरण में तीव्रता लाई जा सके ।

जिला उद्योग केन्द्र योजना के अर्न्तगत मुख्यालय एवं जिला स्तर एवं जिला उद्योग केन्द्र योजना में संविलीन योजनाओं में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत एवं भरे पदों की सूचना निम्नवत् है:–

जिला उद्योग केन्द्र (मुख्यालय)

ftyk m|ksx dsUnz ;kstuk ¼eq[;ky; LVkQ½

dzekad	inuke	osrueku	Lohd`r in	Hkjs in
1	2	3	4	5
1	fu;kstu vf/kdkjh	9300-34800	1	0
2	lka[;dh; lgk;d	9300-34800	1	1
3	lka[;dh; lgk;d	9300-34800	1	1
4	lEizs{kd ¼vkfMVj½	9300-34800	1	1
5	ikfof/kd lgk;d	9300-34800	1	1
6	ofj"B lgk;d	5200-20200	1	1
7	vUos"kd de lax.kd	9300-34800	2	2

8	ofj"B fyfid	5200-20200	1	1
9	dfu"B fyfid	5200-20200	4	4
10	vuqpj	4440-7440	2	2
11	vnZyh	4440-7440	1	1
	;ksx		16	15

ftyk m|ksx dsUnz ;kstuk ¼QhYM LVkQ½

dzekad	inuke	_	Lohd`r in	Hkjs in
	vf/kdkjh oxZ			
1	egkizcU/kd	15600-39100	69	41
2	izcU/kd ¼_.k½	15600-39100	69	40
3	izcU/kd ¼foi.ku½	15600-39100	54	27
4	izcU/kd ¼rduhdh½	15600-39100	69	26
5	izcU/kd ¼ifj;kstuk½	15600-39100	48	13
	;ksx		309	147
	deZpkjh oxZ			
1	iz/kku fyfid	5200-20200	48	48
2	ofj"B fyfid	5200-20200	96	96
3	dfu"B fyfid	5200-20200	181	181
4	vk'kqfyfid	5200-20200	99	99
5	lka[;dh; lgk;d	9300-34800	48	40
6	vUos"kd de lax.kd	9300-34800	76	76
7	lgk;d izcU/kd	9300-34800	432	322
8	T;s"B lEizs{kd	9300-34800	48	26
	dEI;wVj vkijsVj xzsM&1	5200-20200	3	3
9	Mkboj	5200-20200	48	40
10	n¶rjh	4440-7440	48	48
11	pijklh	4440-7440	68	68
12	pkSdhnkj	4440-7440	68	68
13	LoPNdkj	4440-7440	48	48
	;ksx		1311	1163
	cSd ykx 0nkjk Hkjs vf/kl[; inks ij dk;Zjr dkfeZd			
dzekad	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	dfu"B fyfid	5200-20200	36	36
2	vk'kqfyfid	5200-20200	11	11
3	vuqpj	4440-7440	17	17
	;ksx		64	64
	inks dk ;ksx		1700	1389

	vfrfjDr@ljlyl dk;Zjr dkfeZd	_		
dzekad	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	vkS|ksfxd i;Zos{kd	5200-20200	0	55
2	i;Zos{kd de vkfdZd	5200-20200	0	1
3	vuqpj	4440-7440	0	40
	;ksx		0	96

ftyk m\|ksx dsUnz ;kstukUrxZr py jgs izf'k{k.k dsUnz ,oa lfoyhu ;kstuk;sa

dzekad	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	phuh feV~Vh ik= fodkl dsUnz] lgkjuiqj	_		
1	fp=dkj ,oa fMtkbuj	9300-34800	1	0
2	HkV~Bh pykus okyk	5200-20200	1	0
3	ikfof/kd ifjpj	4440-7440	1	1
4	ifjpj	4440-7440	1	1
5	pkSdhnkj	4440-7440	1	1
_	;ksx		5	3
2	gFkdj?kk cquukbZ izf'k{k.k dsUnz]>kalh			
dzekad	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	izlkj vf/kdkjh	9300-34800	1	0
2	cquukbZ izf'k{kd	5200-20200	1	0
3	ikfof/kd ifjpj	4440-7440	1	1
	;ksx		3	1
3	feV~Vh ds crZu cukus dk izf'k{k.k dsUnz >kalh	_		
dzekad	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	izlkj vf/kdkjh	9300-34800	1	0
2	Qk;j eSu	5200-20200	1	0
3	odZ'kki eSdfud	5200-20200	1	0
4	ikfof/kd ifjpj	4440-7440	1	1
	;ksx		4	1

4	df"k l;= dk if'k{k.k dUn]>kl h	_		
dekd	inuke	_	Lohd`r	Hkj
			in	in
1	ekLVj dk¶Veu	9300-34800	1	0
2	dfu"B fyfid	5200-20200	1	1
3	ikfof/kd ifjpj	4440-7440	1	1
4	pkdhnkj	4440-7440	1	1
	;kx		4	3
5	peMk ,o fofHkUu idkj dh oLr;q cuku dk if'k{k.k dUn tkuij	_	_	_
dekd	inuke	_	Lohd`r	Hkj
			in	in
1	fodkl vf/kdkjh ¼pe½	15600-39100	1	0
2	fjlp vkQhlj ¼pe½	15600-39100	1	0
3	if'k{kd	5200-20200	1	1
	pkdhnkj@vupj	4440-7440	1	1
	;kx		4	2
6	lykfLVd dk lkeku cuku dk if'k{k.k dUn] Qrgij			

dekd	inuke	_	Lohd`r	Hkj
			in	in
1	ilkj vf/kdkjh	9300-34800	1	0
2	ifjpj	4440-7440	1	1
3	pkdhnkj@lQkbl etnj	4440-7440	1	1
	;kx		3	2
7	df"k l;= dk if'k{k.k dUn] tkuij			
dekd	inuke	_	Lohd`r	Hkj
			in	in
1	Qkj eu@lhfu;j Vdfufl;u	9300-34800	1	0
2	y[kk fyfid	5200-20200	1	1
3	if'k{kd	5200-20200	1	1
4	ikfof/kd ifjpj	4440-7440	1	1
5	pkdhnkj	4440-7440	1	1
	;kx		5	4
8	pe dyk if'k{k.k dUn] bykgkckn			
dekd	inuke	_	Lohd`r	Hkj
			in	in
1	if'k{kd	5200-20200	1	1
2	ifjpj@pkdhnkj	4440-7440	1	1
	;kx		2	2

9	efgyk flykbZ d<kbZ dsUnz]bykgkckn			
dzekad	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	ifj'kj{kdk	5200-20200	3	2
	;ksx		3	2
10	ifj'kj{k.k ,oa iqLrdky; dk;kZy; ;kstuk			
dzekad	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	ekdsfudy bUthfu;j	15600-39100	1	0
2	Qksjeu	9300-34800	19	6
3	ifj'kj{kd	5200-20200	71	52
4	Vsdd@LVkjdhij	5200-20200	19	19
5	ys[kkdkj	5200-20200	19	19
6	M~kboj	5200-20200	2	2
7	VsfDudy vVsUMsV	4440-7440	19	19
8	pijklh	4440-7440	19	19
9	Lohij	4440-7440	19	19
10	pkSdhnkj¼ifj'kj{k.k dsUnz ij½	4440-7440	19	19
11	pkSdhnkj ¼gkLVy ij½	4440-7440	10	10
	;ksx		217	184

11 vkS|ksfxd vkLFkku ;kstuk

dzekad	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	dk;kZy; v/kh{kd	9300-34800	1	1
2	lgk;d izcU/kd	9300-34800	18	10
3	T;s"B lgk;d	5200-20200	2	2
4	vk'kqfyfid	5200-20200	1	1
5	vUos"kd de lax.kd	9300-34800	1	1
6	ekufp=dkj	5200-20200	1	1
7	ofj"B fyfid	5200-20200	16	16
8	dfu"B fyfid	5200-20200	38	38
9	l|ijokbtj	5200-20200	2	1
10	Qksjeu	9300-34800	6	0
11	uydwi pkyd	4440-7440	6	5
12	pijklh	4440-7440	37	37
13	MsIyhdsfVax vkijsVj	4440-7440	1	1
14	pkSdhnkj	4440-7440	55	55
15	Vsatjh eSlsUtj	4440-7440	1	1

16	e'khfuLV	4440-7440	1	1
	;kx		187	171
12	gLrf'kYi vk|kfxd vkLFkkuk dh LFkkiuk ,o cLrh fuek.k			
dzekd	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	eUtj	5200-20200	1	0
2	dfu"B y[kk fyfid	5200-20200	1	1
3	dfu"B fyfid@Vdd	5200-20200	2	2
4	pkdhnkj	4440-7440	1	1
5	ekyh	4440-7440	2	2
6	pijklh	4440-7440	2	2
7	Lohij	4440-7440	1	1
8	;kx		10	9
13	vxxkeh 'kk/k ,o fo?kk;u i;k'kkyk][k tk			
dzekd	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	fjlp dfeLV¼ikl;yhu½	15600-39100	1	0
2	fjlp lgk;d fljkfeDl	9300-34800	2	0
3	y[kkdkj@fyfid	5200-20200	1	1
4	fyfid	5200-20200	1	1
5	vnyh	4440-7440	1	1
	;kx		6	3

14 jktdh; phuh ik= fodkl dUn][k tk

dzekd	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	ikVjh fodkl vf/kdkjh	15600-39100	1	0
2	fljkfeLV	15600-39100	1	0
3	ikfof/kd lgk;d	9300-34800	3	0
4	i;kx'kkyk lgk;d	5200-20200	2	0
5	ikfof/kd fujh{kd	5200-20200	1	0
6	ekMyj ,o fMtkbuj	5200-20200	2	0
7	Mdkj'ku vkfVLV	9300-34800	1	0
8	e[; fyfid	5200-20200	1	1
9	ofj"B fyfid	5200-20200	2	2
10	vk'kfyfid	5200-20200	1	1
11	fyfid@Vdd	5200-20200	3	3
12	ekYMj ,o ikLflx	5200-20200	2	0
13	ekLVj ikVl	5200-20200	1	0

14	Qkfjx i:f'k{kd	5200-20200	1	0
15	Qk;j eSu	5200-20200	1	1
16	i:;kx'kyk ifjpj	4440-7440	3	3
17	vnZyh	4440-7440	1	1
18	pijklh	4440-7440	3	3
19	Qk;jeSu ifjpj	4440-7440	1	1
20	Lohij	4440-7440	1	1
	;kx		32	17
15	jktdh; phuh ik= fodkl dsUnz pqukj			
dzekd	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	ikfof/kd lgk;d	9300-34800	1	0
2	ekMyj ,oa fMtkbuj	5200-20200	1	0
3	ys[kk fyfid	5200-20200	1	1
4	ekdfudy Qkjesu	5200-20200	2	0
5	HkVBh lgk;d	5200-20200	1	0
6	fyfid	5200-20200	3	3
7	ekYMj	5200-20200	1	0
8	ifjpj	4440-7440	2	2
9	pkSdhnkj	4440-7440	2	2
10	vuqpj	4440-7440	3	3
11	Lohij	4440-7440	1	1
	;kx		18	12

16 mPp ,oa vkfrr lsokgsdk dk ijh{k.k i:;kx'kkyk [kqtk

dzekd	inuke	_	Lohd`r	Hkjs
			in	in
1	vfHk;Urk v/kh{kd	15600-39100	1	0
2	flLVe ,ukfyLV	15600-39100	1	0
3	lgk;d fo/kqr vfHk;Urk	9300-34800	1	0
4	;kf=d lgk;d	5200-20200	1	0
5	dfu"B ys[kkdkj	5200-20200	1	1
6	HkUMkj j{kd	5200-20200	1	1
7	fo?kr feL=h	5200-20200	1	1
8	fQVj	5200-20200	1	1
9	i:;kx'kkyk ifjpj	4440-7440	2	2
10	vnZyh	4440-7440	1	1
11	pijklh	4440-7440	1	1

12	pkdhnkj	4440-7440	1	1
	;kx		13	9
17	ikVjh fodkl dUn]½ftyk m|kx dUn ;ktuk½>kl h			
dekd	inuke	_	Lohdr	Hkj
			in	in
1	efRrdk f'kYih	15600-39100	1	0
2	fjlp ikjlyhu lgk;d	9300-34800	1	0
3	edfud Qkjeu	9300-34800	1	0
4	y[kkdkj	5200-20200	1	1
5	Vdd@fyfid	5200-20200	1	1
6	HkUMkj j{kd	5200-20200	1	1
7	pijklh	4440-7440	1	1
8	pkdhnkj	4440-7440	1	1
9	i;kx'kkyk ifjpj	4440-7440	1	1
10	Lohij	4440-7440	1	1
	;kx		10	7
	egk;kx		526	432

ftmd e lfoyhu ;ktuk		526	432
ftyk m|kx dUn ;ktuk e LVkQ		1700	1389
vfrfjDr LVkQ			96
egk;kx dy ink dh l0		2226	1917

निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों की अवस्थापना सुविधाओं का आधुनिकीरण/उच्चीकरण :–

अ– जिला उद्योग केन्द्र भवनों का निर्माणः–

प्रदेश के सभी 72 जनपदों में उद्यमियों की सुविधार्थ जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय स्थापित हैं, परन्तु 11 नवसृजित जनपदों चन्दौली,गौतमबुद्धनगर, बलरामपुर, औरैया, बागपत, कौशाम्बी श्रावस्ती, जे0पी0नगर, संत कबीरनगर, कांशीराम नगर एवं छत्रपति शाहूजी नगर में जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय का संचालन अपने भवन में नहीं हो रहा है।

वर्ष 2009–10 में दो जिला उद्योग केन्द्रों क्रमशः चित्रकूट एवं महामायानगर हेतु भवन निर्माण कराये गये हैं।

वर्ष 2010–11 में दो जनपदों क्रमशः अम्बेदकरनगर एवं संतरविदास नगर हेतु जिला उद्योग केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य अम्बेदकरनगर एवं संतरविदास नगर में कराया जा रहा है।

वर्ष 2011–12 में 02 नवसृजित जनपदों चन्दौली, तथा गौतमबुद्धनगर में जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये रू0 115.50 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

ब– जिला स्तर पर सिंगल टेबुल योजना

प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने एवं अनुकूल वातावरण सृजन करने, उद्यमियों की जिज्ञासाओं व समस्याओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों से निराकरण कराने एवं स्वीकृतियॉ प्रदान कराने इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए एकल मेज व्यवस्था के कार्यान्वयन का गठन शासन द्वारा किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठकें उद्यमियों की समस्याओं को समाधान कराने तथा एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत समय से स्वीकृतियॉ जारी कराने के लिए प्रत्येक माह बैठकें की जाती है। इस योजना के कियान्वयन हेतु बैठकों के लिए सूचनायें, डाक व्यय, एजेण्डा नोट्स, कार्यवृत्त एवं सन्दर्भो आदि के लिये प्रत्येक माह व्यय हेतु धनराशि की आवश्यकता होती है। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में चलायी जा रही है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए रू0 17.50 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

वर्षवार भौतिक प्रगति निम्नवत् हैः–

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन–पत्र	निस्तारित आवेदन–पत्र
2008–09	51135	51135
2009–10	53326	53190
2010–11	27140	27059(नवम्बर,10 तक)

तालिका –क

वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	जिला उद्योग केन्द्र का भवन निर्माण	84.00		84.00	94.30		94.30	94.30		94.30	115.50		115.50
2	जिला उद्योग बन्धु एवं जिला स्तर पर सिंगल बिन्डो का कार्यान्वयन	**17.49**		**17.49**	**17.50**		**17.50**	**17.50**		**17.50**	**17.50**		**17.50**
	योग	**101.49**		**101.49**	**111.80**		**111.80**	**111.80**		**111.80**	**133.00**		**133.00**

तालिका –ख

उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01–वेतन	शून्य											
2.	03–मंहगाई भत्ता												
3.	04–यात्रा भत्ता												
5.	06–अन्य भत्ते												
7	08–कार्यालय व्यय आदि												

तालिका –ग

वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

कसं	अनुदान संख्या	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
			आयोजना गत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना गत	आयोजनेत्तर	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
1	03''4059''–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 01–कार्यालय भवन, 051–निर्माण, 03–जिला उद्योग केन्द्र का भवन निर्माण, 24–बृहत निर्माण कार्य		84.00	–	84.00	94.30		94.30	94.30		94.30	115.50		115.50
2	**03'' 2851– ग्राम तथा लघु उद्योग आयोजनागत 102–लघु उद्योग,** 09 – जिला उद्योग बन्धु एवं जिला स्तर पर सिंगल बिन्डो का कार्यान्वयन(जिला योजना), 42–अन्य व्यय		**17.49**		**17.49**	**17.50**		**17.50**	**17.50**		**17.50**	**17.50**		**17.50**
	योग		**101.49**		**101.49**	**111.80**		**111.80**	**111.80**		**111.80**	**133.00**		**133.00**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना

यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए लागू की जा रही है। इस समुदाय के अधिकांश लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा इनमें से अधिकांश लाभार्थी दूर–दराज गांव में रहते हैं। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि ऐसे लाभाथिर्यों को चयनित कर उनमें स्किल्ड डेवलपमेंट पैदा करने हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मांग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। यह तभी सम्भव होगा जब लाभार्थियों को उनके घर से ट्रेनिंग सेन्टर तक आने जाने का किराया तथा दोपहर का भोजन एवं सांयकाल की चाय आदि के व्यय का वहन किया जाय ताकि प्रशिक्षणोपरान्त लाभार्थी स्वयं को उद्यम स्थापित कर रोजगारयुक्त हो सके अथवा स्थानीय स्तर पर स्थापित/स्थापित होने वाले उद्योगों में सुगमता से रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत यह प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में व्यक्ति उपलब्ध हो सकें तथा विशेष रूचित के साथ पूर्ण समय तक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके तथा प्रशिक्षणोपरान्त एक कुशल कारीगर बनें।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी, महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा जिले में स्थित सभी राजकीय पालीटेक्निक/आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्यों की समिति गठित करने तथा समिति को उक्त प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त राजकीय/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जिला मुख्यालय पर नवयुवक अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों में कुशलता बढ़ाने हेतु एक सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित ट्रेड आच्छादित होंगेः–

प्रशिक्षण निम्नलिखित ट्रेडों में दिया जायेगा :–

1–	बढई	2–	प्लम्बरिंग
3–	सुरक्षा गार्ड	4–	मेडिकल नर्सिंग(आया)
5–	दुपहिया वाहन रिपेयरिंग	6–	पंचर रिपेयरिंग
7–	ट्रेक्टर रिपेयरिंग	8–	बिजली मोटर रिपेयरिंग
9–	विजली के छोटे मोटे सामाना बनाने एवं रिपेयरिंग का कार्य	10–	राज मिस्त्री
11–	बॉसबेत	12–	कालीन एवं दरी बुनाई
13–	बोरिंग मिस्त्री	14–	लेथ मशीन मैकेनिक
15–	इलैक्टीशियन	16–	साड़ीयों की कढाई छपाई
17–	टेलरिंग		

प्रशिक्षणर्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने के पश्चात प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेडों की टूलकिट दी जायेगी। इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित ट्रेडों में कर सकेंगे।

तालिका –क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना**	267.12		267.12	319.00		319.00	319.00		319.00	452.00		452.00
	योग(क)	**267.12**		**267.12**	**319.00**		**319.00**	**319.00**		**319.00**	**452.00**		**452.00**

तालिका –ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वेतन	–शून्य–											
2.	मंहगाई भत्ता												
3.	यात्रा भत्ता												
4.	अन्य भत्ता												
5.	कार्यालय व्यय आदि												
	योग(ख)												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के स्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**अनुदान सं0–83** ''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 789– अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 03– अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वःरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण 44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय		265.00		265.00	317.00		317.00	317.00		317.00	450.00		450.00
2	**अनुदान सं0–81** ''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना 03–अनुसूचित जन जाति व्यक्तियों के लिए स्वःरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण 20–सहायता अनुदान – सामान्य(गैर वेतन)		**2.00**		**2.00**	2.00	–	2.00	2.00	–	2.00	2.00	–	2.00
		योग(ग)	**267**		**267**	**319.00**		**319.00**	**319.00**		**319.00**	**452.00**		**452.00**

उत्तर प्रदेश में गणना योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आंकड़ों का संग्रहण (कलैक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ एम0एस0एम0ई0)

योजना का उद्देश्य :–

कलैक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ एम0एस0एम0ई0 योजना वर्ष 1978–79 से प्रारम्भ हुई है। लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत/अपंजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयों के विभिन्न आर्थिक पैरामीटर्स जैसेः– पूंजी निवेश, रोजगार सृजन, निर्यात, कच्चे माल की आवश्यकता/खपत, उत्पादन क्षमता/उत्पादन मात्रा के अतिरिक्त लघु औद्योगिक इकाईयों में व्याप्त प्रारम्भिक रूग्णता एवं रूग्णता के कारणों आदि पर ऑकड़ों को संग्रहीत कराये जाने हेतु फ्रेम संरचना, संशोधन एवं आधुनान्तीकरण तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निर्धारण एवं प्रकाशन हेतु मासिक उत्पादन आकड़ों का संग्रहण सहित लघु औद्योगिक क्षेत्र से संम्बन्धित भावी योजनाओं के निर्माण हेतु सैम्पुल सर्वे, नैदानिक सर्वे सहित लघु उद्योग गणना के माध्यम से डाटा बेस तैयार कर समय–समय पर अद्यतन कराना।

योजनान्तर्गत तैनात स्टाफ का विवरण :–

योजनान्तर्गत भारत सरकार से निम्न स्टाफ के विरूद्ध तैनात एवं प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने वाले पदों का विवरण निम्नवत् है :–

क0	पदों का नाम/वेतनमान	भारत सरकार से अनुमोदित पद	भरे पद	रिक्त पद	प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने वाले पद
1	2	3	4	5	6
1	सांख्यकीय सहायक/ अनुसंधाता 9300–34800–(4600)	3	1	2	2
2	इन्वेस्टीगेटर–कम–कम्प्यूटर 9300–34800–(4200)	8	1	7	–
	योग	11	2	9	2

योजनान्तर्गत विगत 3 वर्षों की वित्तीय स्वीकृतियां एवं व्यय की स्थिति :–

यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषित योजना है, जिसके अन्तर्गत विगत 3 वर्षो में राज्य सरकार से निम्न प्रकार से धनराशियों की स्वीकृति कराकर व्यय की गयी, जिसकी प्रतिपूर्ति यथासमय भारत सरकार से की जाती है :–

क0	वर्ष	राज्य सरकार से स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)	व्यय की गयी धनराशि वित्तीय वर्ष के मासांत तक(लाख रुपये में)	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि (लाख रू0 में)
1	2008–09	208.05	196.40	239.00
2	2009–10	27.97	19.92	24.38
3	2010–11	25.59	10.73(दिसम्बर–2010)	–

योजनान्तर्गत निस्पादित किये जा रहे मुख्य कार्यों का विवरण :–

अ– पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयों की फ्रेम संरचना :–

औद्योगिक सांख्यकीय से सम्बन्धित अतिविशिष्ट क्षेत्रीय कार्यों को ससमय सम्पन्न कराये जाने हेतु समय–समय पर विभिन्न आर्थिक पैरामीटर्स पर सूचनाओं को तैयार कराये जाने हेतु पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयों की फ्रेम संरचना, संशोधन एवं आधुनान्तीकरण का कार्य विकास आयुक्त भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के पत्रांक–6(1)/2009–एस0 एण्ड डी0/1561–1634 के अनुपालन में दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2009 तक के फ्रेम्स को कम्प्यूटराईज्ड कराकर भारत सरकार, नई दिल्ली को ई–मेल तथा हार्ड कापी पर उपलब्ध कराया जा चुका है। अवशेष सूचनाएं संग्रहीत कराकर विकास आयुक्त(एम0एस0एम0ई0), भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही चल रही है।

ब– औद्योगिक उत्पादन सूचकांक :–

भारतीय अर्थ व्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन/सेवा क्षेत्र के योगदान एवं वृद्धि दर के आकलन हेतु अखिल भारतीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सेवा क्षेत्र की वृद्धि में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु त्रैमासिक आधार पर उ0प्र0 के 1060 उद्यमों के मासिक उत्पादन विवरण 28 जनपदों से सीधे विकास आयुक्त(एम0एस0एम0ई0), भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जाता है।

स– लघु उद्योगों की गणना :–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर राज्य उद्योग निदेशालयों, कारखाना अधिनियम, के0वी0आई0सी0/के0वी0आई0बी एवं कोयर बोर्ड के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2007 तक पंजीकृत/ई0एम0 प्रस्तुत करने वाले उद्यमों की चतुर्थ गणना (प्रति उद्यम मानदेय भुगतान के आधार पर) वर्ष 2008 में सम्पन्न कराई गयी चतुर्थ गणना के त्वरित परिणाम निम्नवत् हैं:–

1. कार्यरत चिन्हित उद्यमों की संख्या– 187512 (62.87 प्रतिशत)
2. बन्द चिन्हित उद्यमों की संख्या– 75659 (25.37 प्रतिशत)
3. लापता चिन्हित उद्यमों की संख्या– 35065 (11.76 प्रतिशत)

द– अपंजीकृत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के आंकलन हेतु सैम्पुल सर्वे:–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर दिनांक 31.03.2007 तक अपंजीकृत/ई0एम0 प्रस्तुत न करने वाले उद्यमों का आंकलन प्रति उद्यम मानदेय बेसिस पर वर्ष 2009 में प्रारंभ कराया गया। उक्त प्रयोजनार्थ 2150 ग्रामों एवं 69 शहरी क्षेत्रों का चयन किया गया।

क्षेत्रीय कार्य हेतु चिन्हित मानव शक्ति एवं पर्यवेक्षीय कर्मचारियों/अधिकारियों को विधिवत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2009–10 में सैम्पुल सर्वे का क्षेत्रीय कार्य पूर्ण हो चुका है। जिला उद्योग केंद्रों द्वारा संकलित सूचना के आधार पर विवरण निम्नवत हैं:–

1–सर्वे किए गए शहरी क्षेत्रों की संख्या– 69
2–सर्वे किए गए ग्रामों की संख्या– 2066
3–कार्यरत चिन्हित उद्यमों की संख्या– 18018

अब तक सम्पन्न सर्वेक्षणों का संक्षिप्त विवरण :–

क्र0	सर्वेक्षणों का नाम	समयावधि	रिपोर्ट की स्थिति
1	2	3	4
1	प्रथम गणना	प्रारंभ से 30.11.1973 तक	प्रकाशित
2	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.1981 तक	प्रकाशित
3	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.1984 तक	प्रकाशित
4	द्वितीय गणना	प्रारंभ से 31.03.1988 तक	प्रकाशित
5	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.1992 तक	प्रकाशित
6	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.1998 तक	प्रकाशित
7	तृतीय गणना सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.2001 तक	प्रकाशित
8	चतुर्थ गणना	प्रारंभ से 31.03.2007 तक	त्वरित परिणाम प्रकाशित
9	फर्मासुटिकल्स उद्यमों की प्रथम गणना	प्रारंभ से 31.03.2007 तक	क्षेत्रीय कार्य पूर्ण एवं रिपोर्ट प्रतीक्षित
10	सैम्पुल सर्वे	प्रारंभ से 31.03.2007 तक	क्षेत्रीय कार्य समाप्त स्कूटनी एवं स्केनिंग कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रस्तावित कार्यों का संक्षिप्त विवरण :–

1– चयनित/कार्यरत लगभग 852 कार्यरत(सीजनल सहित) पंजीकृत सूक्ष्त एवं लघु उद्यमों के मासिक उत्पादन आंकड़ों का त्रैमासिक संग्रहण किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त नवीन ई0एम0प्रस्तुत करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की फ्रेम संरचना त्रैमासिक आधार पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों से करायी जानी है।

2– संग्रहीत उत्पादन आंकड़ों/फ्रेम्स की स्कूटनी, डाटा इन्ट्री–वेलीडेशन एवं संशोधन की कार्यवाही न्यूक्लियस सेल स्तर(मुख्यालय) स्तर पर पूर्ण कर आंकड़ें व फ्रेम्स विकास आयुक्त(एमएसएमई) भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने है।

3– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की चतुर्थ गणना के सारणीकृत/विश्लेषित विवरणों के आधार पर उत्तर प्रदेश, की गणना रिपोर्ट कराये जाने का कार्य सम्पन्न कराया जाना है।

4– अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के ऑकलन हेतु संचालित सैम्पुल सर्वे (2149 ग्रामों एवं 70 शहरी क्षेत्रों) के क्षेत्रीय कार्य में संग्रहीत विवरणों के स्केन/सारणीकृत विवरणों का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार करायी जानी है।

उक्त प्रकियात्मक कार्यो के प्रयोजनार्थ एवं तैनात स्टाफ के वचनबद्ध देयों के वहन हेतु वर्ष 2011–12 के लिये रू0 36.18 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है।

तालिका –क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	उ0प्र0 के लघु उद्योगों की गणना योजना के अन्तर्गत न्युक्लियस सेल की स्थापना	19.92		19.92	25.59		25.59	25.59		25.59	36.18		36.18
	योग(क)	**19.92**		**19.92**	**25.59**		**25.59**	**25.59**		**25.59**	**36.18**		**36.18**

तालिका –ख

(रूपये लाख में)

उद्देश्यवार वर्गीकरण

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01–वेतन	10.81		10.81	10.44		10.44	10.44		10.44	11.78		11.78
2.	03–मंहगाई भत्ता	1.95		1.95	3.45		3.45	3.45		3.45	6.24		6.24
3.	04–यात्रा भत्ता	3.34		3.34	4.60		4.60	4.60		4.60	4.60		4.60
4.	06–अन्य भत्ते	1.19		1.19	1.75		1.75	1.75		1.75	2.86		2.86
5	08–कार्यालय व्यय आदि	2.63		2.63	5.35		5.35	5.35		5.35	10.70		10.70
	योग	**19.92**		**19.92**	**25.59**		**25.59**	**25.59**		**25.59**	**36.18**		**36.18**

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101–उ0प्र0 के लघु उद्योगों की गणना योजना के अर्न्तगत न्यूक्लीयस सेल की स्थापना (के.100/रा.00–के0)		19.92		19.92	25.59		25.59	25.59		25.59	36.18		36.18
		27.97	**19.92**		**19.92**	**25.59**		**25.59**	**25.59**		**25.59**	**36.18**		**36.18**

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास में गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने की दृष्टिकोण से यह योजना संचालित की गयी है।

औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने तथा सुगमतापूर्वक संचालन के लिए उद्यमियों का सभी प्रकार की जानकारी हो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों का उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया जाता है। यह योजना जिला स्तर पर चलायी जा रही है। वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	आयोजित शिविर		प्रशिक्षार्थियों की संख्या	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	4	5	6	7
2008–09	370	163	17100	9127
2009–10	18	18	360	360
2010–11	38	––	1065	––

वर्ष 2010–11 हेतु शासन से रू0 5.00 लाख का बजट विभिन्न जनपदों हेतु अवमुक्त किया गया है, जिसमें 5 एक दिवसीय तथा 33 दो साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। निर्धारित कार्यक्रमों का सम्पादन तथा जिला उद्योग केन्द्रों तथा उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ द्वारा कराया जा रहा है। योजना के सम्यक संचालन हेतु वर्ष 2011–12 के लिए रू0 6.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

तालिका–क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	उद्यमकर्ता विकास योजना		5.00	5.00		5.00	5.00		5.00	5.00		6.00	6.00
2	उद्यमिता विकास संस्थान को अनुदान		14.23	14.23		25.00	25.00		25.00	25.00		27.00	27.00
योग	**(क)**		**19.23**	**19.23**		**30.00**	**30.00**		**30.00**	**30.00**		**33.00**	**33.00**

तालिका ''ख''
उद्देश्यवार वीगकरण

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वेतन	शून्य											
2.	मंहगाई भत्ता												
3.	यात्रा भत्ता												
4.	अन्य भत्ता												
5.	कार्यालय व्यय आदि												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अनुदान सं0–03 ''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग 07–उद्यमकर्ता विकास योजना (जिलायोजना)– 20 सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन),			5.00	5.00		5.00	5.00		5.00	5.00		6.00	6.00
2	अनुदान सं0–03 ''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग 20 उद्यमिता विकास संस्थान को अनुदान 20 सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)			14.23	14.23		25.00	25.00		25.00	25.00		27.00	27.00
	योग(ग)			**19.23**	**19.23**		**30.00**	**30.00**		**30.00**	**30.00**		**33.00**	**33.00**

सेण्ट्रल ग्लास एण्ड सिरमिक रिसर्च इन्स्टीटयूट, खुर्जा (सी0जी0सी0आर0आई0)

प्रदेश में निर्यातोन्मुखी पाटरी उद्योगों के गुणात्मक तकनीकी तथा उत्पादकता से जुड़े आधुनिकीकरण गुणवत्ता में नवीनता तथा नये उत्पादों हेतु प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण आदि कियाकलापों हेतु यह योजना वर्ष 1981–82 से संचालित है। इस संस्थान के वार्षिक व्ययों का 50 प्रतिशत अंश केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में वहन किया जाता है, जिसका निर्णय उ0प्र0 शासन एवं सी0जी0सी0आर0आई0/सी0एम0एम0आर0आई0 (सेन्ट्रल माइन्स एण्ड मिनरोलॉजी रिसर्च इन्स्टीटयूट) के उच्चाधिकारियों के मध्य वर्ष 1977 के मध्य निर्णीत है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 की भौतिक प्रगतिः–

संस्थान द्वारा रू0 5.00 लाख शुल्क में प्राप्त किया गया। संस्थान द्वारा दो सौ इकाईयों की भट्ठियों (फर्नेश) में पर्यावरण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए संशोधन कराये गये। 10 सिरामिक तथा 6 ब्लेज वाडी का विकास किया गया। 25 इकाईयों द्वारा उत्पादों में प्रयुक्त कच्चे माल के वेस्ट मेरी माइजेशन की तकनीकी उपलब्ध कराई गयी। उक्त के अतिरिक्त ग्लास बीड्स, ज्वैलरी, मेकिंग से सम्बनिधत सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 80 प्रशिक्षार्थी लाभान्वित हुए।

वित्तीय वर्ष 2010–11 की भौतिक प्रगतिः–

वित्तीय वर्ष 2010–11 माह दिसम्बर–2010 तक 30 इकाईयों के निर्मित उत्पादनों का परीक्षण कर तथा 80 इकाईयों का कच्चे माल का रासायनिक परीक्षण कर शुल्क के रूप में लगभग 10.00 लाख प्राप्त किये गये। 15 उद्यमियों को दक्षिण भारत में कियान्वित पाट्री क्लस्टरों का भ्रमण कराया गया। ग्लास, बीड्स एवं ज्वैलरी मेकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें 100 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू0 20.00 लाख का आय–व्ययक का प्राविधान प्रस्तावित है।

तालिका–क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2008–09			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सी0जी0सी0 आर0आई0 खुर्जा को सहायता		10.00	10.00	–	20.00	20.00	–	20.00	20.00		20.00	20.00
	योग (क)		**10.00**	**10.00**	**–**	**20.00**	**20.00**	**–**	**20.00**	**20.00**		**20.00**	**20.00**

तालिका–ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वेतन		10.00	10.00	–	20.00	20.00	–	20.00	20.00		20.00	20.00
2.	मंहगाई भत्ता												
3.	यात्रा भत्ता												
4.	अन्य भत्ता												
5.	कार्यालय व्यय आदि												
	योग(ख)	**––**	**10.00**	**10.00**	**–**	**20.00**	**20.00**	**–**	**20.00**	**20.00**		**20.00**	**20.00**

तालिका–ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रू0 लाख में)

कम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1–	03	''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–102–लघु उद्योग 03–सी0जी0सी0 आर0आई0खुर्जा को सहायता 27–सब्सिडी		10.00	10.00	–	20.00	20.00	–	20.00	20.00		20.00	20.00
	योग–			10.00	10.00	–	20.00	20.00	–	20.00	20.00		20.00	20.00

उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण
(राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रर्दशनियों में भाग लेना)

उद्योग निदेशालय के तत्वाधान में राज्य सरकार वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण का गठन सोसायटी पंजीकरण संख्या–21,1860 के अर्न्तगत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, इकाईयो की स्थापना किये जाने तथा उनके विपणन विषयक सहायता करने के उद्वेश्य से किया गया था। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु निर्यातमूलक प्रभावी कदम उठाये गये है। जिसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः प्राधिकरण हेतु निर्दिष्ट कार्यकलापो में मूलतः उद्वेश्य निम्नवत् हैः–

1– विभिन्न व्यापार मेलो में भाग लेना, प्रदेश की इकाइयों द्वारा जो उत्पादत के बाजार को बढाने के लिये देश व विदेश में व्यापार मेलो की व्यवस्था कराना।

2– देश व विदेश में प्राधिकरण द्वारा लगाये जा रहे मेलों का प्रचार–प्रसार कराना तथा प्रदेश के उद्यमियेों का तकनीकी ज्ञान बढाने एवं विदेश के उद्यमियों को इन मेलो में आमंत्रित करना।

3– प्रदेशीय औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादित पारम्परिक उत्पादों के निर्यात एवं प्रोत्साहन हेतु बाजारों का सर्वेक्षण कराना तथा निर्यात बढाना।

4– प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयो के कार्यकलापो के अनुसार उन्हें श्रेणीबद्व कर उनका पंजीकरण कराना ताकि उनके उत्पादित माल की संरचना के अनुसार विभिन्न व्यापारिक मेलों में उनका प्रतिनिधित्व एवं भाग लेना सुनिश्चित किया जा सके।

5– अन्य कोई कार्यकलाप या व्यापार करना, जो प्राधिकरण के उद्वेश्यों के अनुरूप तथा प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों के हित में हो।

6– प्राधिकरण के उद्वेश्यों के अनुरूप पुस्तकालय एवं सूचना प्रभाग की स्थापना करना, जिसके द्वारा प्रदेश के उद्यमियों को अन्य उत्पादों का निर्यात करना या उसके बाजार को बढाने में सहायता प्राप्त हो सके।

7– आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करना, जो प्रदेश या विदेश में स्थित हो एवं प्राधिकरण के उद्वेश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक हो।

8– किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान जिसका उद्वेश्य प्राधिकरण के समान हो, का सदस्य बनाना एवं सदस्यता शुल्क का भुगतान करना।

यह प्राधिकरण निदेशालय स्तर पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में कार्यरत है और समय समय पर शासी निकाय की बैठकें आयोजित कर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा संचालन विषयक कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न करायी जाती है। शासी निकाय में शासन, वित्त एवं विभन्न निगमों के पदाधिकारी नामित है, जो चेयरमैन, यू0पी0टी0पी0ए0 को अपन सुझाव मार्गदर्शन देते है।

प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विभिन्न मेलों का आयोजन भारत/उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश में आवश्यकतानुसार आयोजित किया जात है। वास्तव में आई0टी0पी0ओ0,नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों उनके दिशा निर्देश के अनुसार सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण करता है। आई0टी0पी0ओ0 द्वारा मेलों को वर्गीकृत एवं स्लाट तैयार किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में उनके स्तर पर समय–समय पर महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की अपेक्षायें भी रहती है। प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इसी प्राधिकरण के अर्न्तगत यू0पी0पैवेलियन भी कार्यरत है। जहॉ पर स्थानीय रूप से सहायतार्थ उद्यमियों के मार्गदर्शन तथा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु स्टाफ की भी व्यवस्था है। प्राधिकरण द्वारा इस पैवेलियन को संचालित करने हेतु समय समय पर दिशा निर्देश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण के माध्यम से दिये जाते है। शासन द्वारा प्रति वर्ष के लिये एक निश्चित तिथि (14 नवम्बर से 27 नवम्बर तक) के मध्य प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हेतु बजट की भी व्यवस्था की जाती है, जिसका व्यय शासन द्वारा दिये गये मदों में वित्तीय नियमों के अधीन किया जाता है। अन्य मेलो के क्रियान्वयन का संचालन व दायित्व प्राधिकरण अपने श्रोतो से करता है, जिस हेतु कोई अनुदान या राशि अलग से उपलब्ध नहीं होती है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्राधिकरण द्वारा आयोजित कराये गये मेले/प्रदर्शनी

1– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला–कानपुर

यह मेला जनपद कानपुर निदेशालय प्रागंण में दिनांक 10–9–2008 से 16–9–2008 तक आयोजित किया गया जिसमें 150 इकाइयों ने भाग लिया।

2– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला–बरेली

यह मेला जनपद बरेली मे दिनांक 18–10–2008 से 24–12–2008 तक आयोजित किया गया जिसमें 150 इकाइयों ने भाग लिया। यह मेला बरेली इन्टर कालेज मैदान में आयोजित किया गया था।

3– भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2008

यह मेला दिनांक 14–11–2008 से 27–11–2008 तक प्रगति मैदान , नई दिल्ली, उ0प्र0मण्डप में आयोजित किया गया जिसमें 127 इकाइयों के उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई। मेले मे दौरान 15.10 करोड़ की व्यापारिक पूछ–ताछ की गई जिसमें से 85 प्रतिशत के कन्फर्म आर्डर मिलने की सम्भावना है। मेले में 2.60 करोड की बिक्री विभिन्न उत्पादो के माध्यम से की गई। विभिन्न प्रदेशो के गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों को मिलाकर 10 लाख व्यक्तियों द्वारा मण्डप का भ्रमण किया गया ।

4– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला–गाजियाबाद

यह मेला गाजियाबाद के रामलीला मैदान, कवि नगर में दिनाक 20 से 27 दिसम्बर–2008 के मध्य आयोजित किया गया। इस मेले में 150 इकाइयों की भागीदारी कराई गई।

5– भारतीय हस्तशिल्प महोत्सव (सोर्सिंग शो)– कानपुर

यह मेला भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11–1–2009 से 20–1–09 के मध्य मोतीझील प्रागंण में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 150 हस्तशिल्प इकाईयों की भागीदारी कराई गई।

6– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला–फैजाबाद

दिनांक 1 से 8 फरवरी,2009 के मध्य यह प्रदर्शिनी फैजाबाद के गुलामबाड़ी मैदान में आयोजित की गई जिसमें लगभग 120 हस्तशिल्प इकाईयों की भागीदारी कराई गई।

7– औद्योगिक एवं हस्तशिल्प मेला–वाराणसी

दिनांक 22 फरवरी से 01 मार्च,2009 के मध्य यह प्रदर्शिनी वाराणासी के बेनियाबाग मैदान में आयोजित की गई जिसमें लगभग 150 हस्तशिल्प इकाईयों की भागीदारी कराई गई।

8– क्राफट बाजार, गोवा

दिनांक 10 मार्च से 19 मार्च,2009 के मध्य यह प्रदर्शिनी गोवा के हस्तशिल्प मैदान पंजिम में आयोजित की गई जिसमें लगभग 150 हस्तशिल्प इकाईयों की भागीदारी कराई गई। यह प्रदर्शिनी विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्राधिकरण द्वारा आयोजित कराये गये मेले/प्रदर्शनी

1–दिल्ली हाटः–

यह मेला दिल्ली टूरिज्म एण्ड ट्रान्सर्पोट्रशन कारपोरेशन नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16 से 26 जून 2009 में आयोजित किया गया, जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 50 हस्तशिल्प इकाइयों की सहभागिता कराते हुये उनके उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई। प्रदर्शनी में आये हुये आगुतन्को द्वारा प्रदर्शनी की सराहना की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रमुख सचिव , लघु उद्योग , उ0प्र0शासन लखनऊ द्वारा किया गया ।

2–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी चित्रकूट–

यह मेला चित्रकूट के राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में दिनांक 20 से 27 जुलाई –2009 के मध्य आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 80 इकाईयों की सहभागिता कराते हुये उनके उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

3–दिल्ली हाटः–

यह मेला दिल्ली टूरिज्म एण्ड ट्रान्सर्पोट्रशन कारपोरेशन नई दिल्ली एवं विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 04 से 14 सितम्बर 2009 के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 197 हस्तशिल्प इकाइयों की सहभागिता कराते हुये उनके उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

4–दिल्ली हाटः–

यह मेला दिल्ली टूरिज्म एण्ड ट्रान्सर्पोट्रशन कारपोरेशन नई दिल्ली एवं विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 21 से 30 सितम्बर 2009 के मध्य आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 50 हस्तशिल्प इकाइयों की सहभागिता कराते हुये उनके उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

5–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी जौनपुर

यह प्रदर्शनी जौनपुर के इण्टरकालेज मैदान, बस स्टाप के पास दिनांक 3 से 10 अक्टूबर 09 के मध्य आयोजित की गयी थी जिसमें 65 इकाइयों की भागीदारी कराते हुए हस्तशिल्प एवं औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों की बिक्री करायी गयी ।

6–ट्रेड फेयर देहरादूनः–

यह मेला इन्डिया इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गनाइजेशन नई दिल्ली द्वारा देहरादून में दिनांक 06 से 13 अक्टूबर–2009 के मध्य आयोजित किया गया जिसमें प्राधिकरण द्वारा उक्त मेले में 30 हस्तशिल्प इकाइयों की भागीदारी कराई गई, जिसमें उनके उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

7–दिल्ली हाटः–

यह मेला दिल्ली टूरिज्म एण्ड ट्रान्सर्पोट्रशन कारपोरेशन नई दिल्ली एवं विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 16 से 26 अक्टूबर 2009 के मध्य आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 50 हस्तशिल्प इकाइयों की सहभागिता कराते हुये उनके उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई।

8–भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2009

यह मेला दिनांक 14 से 27 नवम्बर–2009 तक,उ0प्र0 मण्डप प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें 115 इकाइयों के उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई। मेले के दौरान 20.10 करोड़ की व्यापारिक पूछताछ की गई जिसमें से 85 प्रतिशत के कन्फर्म आर्डर मिलने की सम्भावना है। मेले में 3.60 करोड की बिक्री विभिन्न उत्पादो के माध्यम से की गई । मेले का उद्वघाटन दिनांक 14 नवम्बर–2009 को प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन , लखनऊ द्वारा किया गया । विभिन्न प्रदेशो के गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों को मिलाकर लगभग 15 लाख व्यक्तियों द्वारा मण्डप का भ्रमण किया गया।

9–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी मेरठ

यह मेला दिनांक 19 से 27 दिसम्बर–09 के मध्य गॉधी आश्रम परिसर मेरठ में आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 80 हस्तशिल्प इकाइयों द्वारा भाग लिया गया एवं उनके उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई । मेले का उद्वघाटन जिलाधिकारी मेरठ द्वारा किया गया उनके द्वारा मेले की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई।

10–नार्दन इण्डिया इन्टरनेशल ट्रेड फेयर 2010

दिनांक 19 से 26 जनवरी–2010 स्थान मोतीझील, कानपुर में ट्रेड इवेन्ट आंगनाइजेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्राधिकरण द्वारा भी अपनी इकाइयों की भागीदारी करायी गयी। इस मेले में भारत सरकार, नई दिल्ली, राज्य सरकार के उपक्रम सहित 300 इकाइयों की भागीदारी हुई। मेले का उद्घाटन मा0 मंत्री लद्यु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन श्री चन्द्र देव राम यादव द्वारा दिनांक 22 जनवरी,2010 को किया गया।

11–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी मथुरा

यह मेला दिनांक 19 से 25 फरवरी 2010 के मध्य उत्तर मध्य रेलवे मैदान,मथुरा में आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 67हस्तशिल्प एवं औद्योगिक इकाइयों द्वारा भाग लिया गया एवं उनके उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई ।

12–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी झॉसी

यह मेला दिनांक 6 से 12 मार्च 2010 के मध्य सीपरी रोड, सर्किट हाउस मैदान,झॉसी में आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 72 हस्तशिल्प एवं औद्योगिक इकाइयों द्वारा भाग लिया गया एवं उनके उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई ।

13–औद्योगिक एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी गाजियाबाद

यह मेला दिनांक 25 से 31 मार्च 2010 के मध्य रामलीला मैदान,कवी नगर गाजियाबाद में आयोजित किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की 81 हस्तशिल्प एवं औद्योगिक इकाइयों द्वारा भाग लिया गया एवं उनके उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री कराई गई ।

वर्ष 2010–11 में प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेले

1– क्राफ्ट बाजार , कानपुर

21 से 30 अप्रैल 2010: यह प्रदर्शनी कानपुर के मोतीझील मैदान में विकास आयुक्त हस्तशिलप भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गयी थी जिसमें प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की 167 हस्तशिल्प इकाइयों की भागीदारी करायी गयी तथा इन शिल्पियों के उत्पादों की बिक्री रू0 91,22,500.00 की हुई । मेले का उद्घाटन श्री सीताराम मीणा,आई0ए0एस0 श्रमायुक्त एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0वित्तीय निगम,कानपुर द्वारा किया गया तथा दिनांक 24.4.10 को माननीय कोयला मंत्री भारत सरकार श्री श्री प्रकाश जायसवाल द्वारा मेले का दृश्यावलोकन भी किया गया

2– क्राफ्ट बाजार, शिलांग ,गुवाहाटी :–

यह प्रदर्शनी शिलांग के लाबान स्पोर्टस क्लब, लाबान में दिनांक 12 से 21 जून 2010 के मध्य विकास आयुक्त, हस्तशिल्प,भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गयी जिसमें प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के 133 हस्तशिल्पियों द्वारा भागीदारी की गयी । प्रदर्शनी में रू0 67.00 लाख की बिक्री की गयी । प्रदर्शनी के आयोजन पर रू0 14.50 लाख का व्यय हुआ, जिसमें भारत सरकार से रू012.25 लाख की स्वीकृति प्राप्त है तथा 75 एवं 25 प्रतिशत का व्यय किया जाना था।

3– दिल्ली हाट:–

यह प्रदर्शनी विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं यू0पी0 टूरिज्म एवं ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली के सहयोग से दिल्ली हाट में 3 से 16 जून 2010तक आयोजित की गयी, जिसमें प्रदेश के 55 हस्तशिल्पियों की भागीदारी करायी गयी ।

4– दिल्ली हाट

यह प्रदर्शनी विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं यू0पी0टूरिज्म एवं ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन नई दिल्ली के सहयोग से दिल्ली हाट में दिनॉक 07 से 17 सितम्बर 2010 तक आयोजित की गयी, जिसमें प्रदेश के 10 पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों की भागीदारी करायी गयी ।

5– दिल्ली हाट

यह प्रदर्शनी विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार,नई दिल्ली एवं यू0पी0टूरिज्म एवं ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली के सहयोग से दिल्ली हाट में दिनॉक 18 से 30 सितम्बर 2010 तक आयोजित की गयी, जिसमें प्रदेश के 13 पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों की भागीदारी करायी गयी । अतः शाषी निकाय से अनुरोध है कि इसे संज्ञान में लेते हुए अनुमति प्रदान करना चाहे।

6– क्राफ्ट बाजार, बंगलौर

यह प्रदर्शनी सेंट एंटोनी चर्च ग्राउण्ड ,माराथल्ली, बंगलौर में दिनांक 07 से 16 अक्टूबर 2010 के मध्य विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गयी, जिसमें प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के 133 हस्तशिल्पियों द्वारा भागीदारी की गयी । प्रदर्शनी में रू0 82.57 लाख की बिक्री की गयी । प्रदर्शनी के आयोजन पर 14.72 लाख का व्यय हुआ, जिसमें भारत सरकार से 12.25 की स्वीकृति प्राप्त है।

7–भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2010

यह मेला दिनांक 14 से 27 नवम्बर–2010 तक,उ0प्र0 मण्डप प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें 142 इकाइयों के उत्पादो का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई। मेले के दौरान 25.00 करोड़ की व्यापारिक पूछताछ की गई जिसमें से 85 प्रतिशत के कन्फर्म आर्डर मिलने की सम्भावना रही। मेले में 5.60 करोड की बिक्री विभिन्न उत्पादो के माध्यम से की गई । मेले का उद्घाटन दिनांक 14 नवम्बर–2010 को प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन , लखनऊ द्वारा किया गया तथा दिनाक 17 नवम्बर 2010 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा मेले का दृश्यावलोकन किया गया। विभिन्न प्रदेशो के गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों को मिलाकर लगभग 18 लाख व्यक्तियों द्वारा मण्डप का भ्रमण किया गया। व्यापार मेले के आयोजन पर प्रदेश शासन द्वारा रू0 65.00लाख की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू0 65.00 लाख का आय–व्ययक का प्राविधान प्रस्तावित है।

तालिका –क
वित्तीय आवश्यकतायें, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना		65.00	65.00	–	65.00	65.00	–	65.00	65.00		65.00	65.00
	योग(क)		**65.00**	**65.00**	–	**65.00**	**65.00**	–	**65.00**	**65.00**		**65.00**	**65.00**

तालिका –ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01–वेतन	शून्य											
2.	03–मंहगाई भत्ता												
3.	04–यात्रा भत्ता												
5.	06–अन्य भत्ते												
7	08–कार्यालय व्यय आदि												
	योग												

तालिका –ग
वित्तीय संसाधनों के श्रोत

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोज नागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोज नागत	आयोज नेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अनुदान सं0–03 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग 800–अन्य व्यय 03–राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले एवं प्रर्दशनियों में भाग लेना 19–विज्ञापन, ब्रिकी और विख्यापन व्यय			65.00	65.00	–	65.00	65.00		65.00	65.00		65.00	65.00
		योग(ग)		**65.00**	**65.00**		**65.00**	**65.00**		**65.00**	**65.00**		**65.00**	**65.00**

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0

(1) विभाग के अभ्युदय, विकास तथा उनके मूलभूत उद्देश्यों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण।

प्रदेश से निर्यात में वृद्वि एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तथा निर्यातकों को उनके द्वारा किये जा रहे निर्यात से सम्बन्धित कार्य हेतु राज्य/केन्द्र सरकार के अधीनस्थ विभिन्न विभागों से होने वाली कठिनाईयों/समस्याओं के निराकरण एवं सम्बन्धित विभागों के मध्य आपसी सामंजस्य बनाने हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो का गठन प्रदेश सरकार द्वारा 1999 में किया गया। उक्त के साथ–साथ कई अन्य योजनाओं का संचालन ब्यूरो द्वारा निर्यातकों को विभिन्न सुविधायें/वित्तीय सहायताएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

(2) विभागीय पदों का गत् तीन वित्तीय वर्षों का विवरण।

वित्तीय वर्ष 1999–2000 से निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के संचालानार्थ आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन एवं अपर आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के एक–एक पद (कुल दो पद) सृजित किये गयें हैं तथा इन पदों पर क्रमशः आई0ए0एस0 संवर्ग के सुपर टाइम स्केल एवं सीनियर स्केल के अधिकारी कार्य सम्पादित कर रहें हैं। इन सृजित पदों पर शासनादेश में निहित प्राविधानानुसार कोई नयी नियुक्ति नहीं की गयी है। इनके अतिरिक्त कार्यालय कार्य हेतु उद्योग निदेशालय एवं उ0प्र0 निर्यात निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को ब्यूरो से सम्बद्ध किया गया है।

शेष कार्य यथा आवश्यक संविदा आधार पर कराया जा रहा है। ब्यूरो में उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई पद सृजित नहीं है।

(3) कार्यक्रम/कार्यकलापवार गत् तीन वित्तीय वर्षों के निर्धारित लक्ष्य व उपलब्धि विवरण

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र. स.	योजना का नाम	वर्ष 2007–08			वर्ष 2008–09			वर्ष 2009–10		
		प्राविधान	उपलब्धि		प्राविधान	उपलब्धि	भौतिक (संख्या)	प्राविधान	उपलब्धि	
			वित्तीय (व्यय धनराशि)	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (व्यय धनराशि)			वित्तीय (व्यय धनराशि)	भौतिक (संख्या)
1	त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना। उपयोजनायें	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	(1अ).अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता	200.00	200.00	439	200.00	200.00	335	400.00	400.00	519
	(1ब).राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता	40.00	40.00	.....	40.00	40.00	....	40.00	40.00	....
	(2).गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान ।	300.00	300.00	299	500.00	500.00	303	300.00	300.00	201

	(3).निर्यातकों की क्षमता का विकास	18.00	18.00	18	5.00	5.00	19	5.00	5.00	10
	(4).अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रोत्साहन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना	32.00	32.00	....	10.00	10.00	4	10.00	10.00	4
	(5).निर्यात पुरस्कार	8.00	8.00	....	8.00	8.00	26	8.00	8.00	34
2	**वायुयान भाड़ायुक्तिकरण योजना**	....	.....	....	200.00	5.84	11	100.00	4.72	7
3	**निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना**	....	.....	....	23.75	23.75	....	27.25	27.25	....

(4) गत् वित्तीय वर्ष 2009–10 में किये गये प्रमुख कार्यो का संक्षिप्त विवरण

(अ) विपणन विकास सहायता योजना

वित्तीय वर्ष 2009–10 में योजनान्तर्गत आवंटित बजट रू0 400.00 लाख से विभिन्न जनपदों की निर्यातक इकाईयों के कुल 519 स्वीकृत दावों का भुगतान किया गया।

(ब) भाड़ा युक्तिकरण योजना

वित्तीय वर्ष 2009–10 में योजनान्तर्गत आवंटित बजट रू0 300.00 लाख से विभिन्न जनपदों की निर्यातक इकाईयों को कुल 201 दावों का भुगतान किया गया।

(स) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना

वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस योजनान्तर्गत रु0 27.25 लाख की धनराशि का सदुपयोग किया गया।

(द) राज्य निर्यात पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2009–10 में योजनान्तर्गत रू0 8.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई।

योजनान्तर्गत निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न 25 श्रेणियों के निर्यातकों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कारों से सम्मानित तथा समस्त श्रेणियों में एक सर्वश्रेष्ठ निर्यातक पुरस्कार से सम्मानित किये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार कुल 51 निर्यातकों को पुरस्कृत किये जाने का प्राविधान है ।

(4 – अ) वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना

वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजना को आरम्भ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में 7 इकाईयों के मध्य कुल रु0 4.72 लाख का भुगतान किया गया है।

(5) विकास के आगामी लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित कार्यक्रम

(अ) वर्ष 2011–12 हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	योजना / कार्यक्रम	लक्ष्य	
1	चालू योजना	भौतिक	वित्तीय
1	<u>त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना।</u> <u>उपयोजनायें</u> (1अ).अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता (1ब).राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता (2).गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान । (3).निर्यातकों की क्षमता का विकास (4).अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रोत्साहन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना । (5).निर्यात पुरस्कार	 265 75 225 6 – 51	 240.00 15.00 200.00 4.50 4.47 08.00
2	**वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना**		**15.00**
3	**निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना (आयोजनेत्तर)**	**....**	**25.58**
	योग		***512.55***

(ब) चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से **"त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना"** संचालित की जा रही है जिसके अधीन विभिन्न 5 उपयोजनाओं के माध्यम से निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है । इन उपयोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

1. (1–अ). अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता

इस उपयोजना के अन्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के निर्यातकों को विभिन्न श्रेणियों में निम्नवत् वित्तीय सहायता/सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं:–

योजना	दर	प्रतिबन्ध
1. विदेशी व्यापार मेला/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु अनुदान (अ) निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से विदेशी व्यापार मेला अथवा प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता ।	स्थल किराये का 75 प्रतिशत् वायुयान किराये का 50 प्रतिशत ।	अधिकतम् सीमा रू0 1.00 लाख प्रति निर्यातक । केवल एक व्यक्ति के लिए अधिकतम सीमा रू0 50,000/– प्रति निर्यातक । **निर्यातक द्वारा स्थल किराये पर व्यय में निर्यातक का अंश वायुयान व्यय में छूट से अधिक होगा अन्यथा वायुयान व्यय में छूट की कटौती कर दी जायेगी।**
(ब) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा आई0टी0पी0ओ0, उ0प्र0 निर्यात निगम, यूपीटीपीए, यूपिको, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल आदि एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक संघों के सह प्रायोजन से आयोजित किये जाने वाले विदेशी/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु **(1) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शिनियों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता :–** **क) हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु**	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा हस्तशिल्प उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन हेतु संचालित योजना के अनुरूप।	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प उत्पादों के सजीव प्रदर्शन हेतु सम्बन्धित हस्तशिल्प के राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कृत दो हस्तशिल्पी मास्टर क्राफ्टमेन के रूप में भाग ले सकते हैं । मास्टर क्राफ्ट्समेन तथा दो अधिकारियों के लिए अनुमन्य टी0ए0/डी0ए0 हेतु भी शत्–प्रतिशत् वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त सहायता शत्–प्रतिशत् आयोजक संस्था को मेला/प्रदर्शनी के आयोजन की व्यवस्था हेतु अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी । उक्त सहायता निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो एवं उ0प्र0 निर्यात निगम के द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेले/प्रदर्शिनियों के लिए ही उपलब्ध कराई जायेगी

ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु ।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उद्यमियों के प्रतिभाग करने पर 1–अ के अनुसार ।	अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मेलों में प्रतिभाग हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो एवं उ0प्र0 निर्यात निगम, यू0पी0टी0पी0ए0, यूपिको, एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल आदि एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक संघों के सह–प्रायोजन से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु आयोजित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मेला/प्रदर्शिनियों में भाग लेने की स्थिति में 1–अ के अनुसार वित्तीय सहायता की गणना करते हुये आकलित धनराशि की 50 प्रतिशत् अग्रिम के रूप में सम्बन्धित आयोजक संस्था को मेला/प्रदर्शनी के आयोजन के व्यवस्था हेतु दी जायेगी जिसका समायोजन मेला उपरांत सम्बन्धित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय विवरण से किया जायेगा ।
(2) निर्यातक संघों/औद्योगिक संघों, निर्यात प्रोत्साहन काउन्सिल के सहप्रायोजन से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता ।	प्रति मेले पर हुए कुल व्यय का 50 प्रतिशत	मेले में भाग लेने वाले दो अधिकारियों को टी0ए0/डी0ए0 भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अनुमन्य होगा अधिकतम सीमा रु0 50.00 लाख तथा शेष 50 प्रतिशत या इससे अधिक धनराशि की व्यवस्था औद्योगिक संघ करेंगे । कम से कम 30 अतिसूक्ष्य, लघु एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे
2. निर्यात उत्पाद के प्रचार–प्रसार सामग्री जैसे –कैटलॉग, विज्ञापन, वीडिओ–कैसेट्स, वेब–साईट आदि के छपाई /निर्माण हेतु ।	**कुल व्यय का 60** प्रतिशत्।	अधिकतम् सीमा रू0 60,000/– प्रति निर्यातक प्रति वर्ष
3.विदेशी क्रेता को नमूने भेजने हेतु।	वायुयान अथवा कोरियर से नमूना भेजने पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत् ।	अधिकतम् सीमा रू0 50,000/– प्रति निर्यातक प्रति वर्ष
4.गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आई0एस0ओ0– 9000/ बी0आई0एस0– 14000 श्रेणी ऊनी वस्त्रों के लिए वूलमार्क, स्वर्ण आभूषण के लिए हाल मार्क, फूड सेफ्टी के लिए एच.ए.सी.सी.पी. एवं विद्युत उपकरणों के लिए सी. मार्क आदि प्राप्त करने हेतु ।	**कुल व्यय का 6**0 प्रतिशत्	अधिकतम् सीमा रू0 75,000/– प्रति निर्यातक प्रति वर्ष

(1–ब). राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता

उक्त योजना का संचालन उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उद्योग निदेशालय उ0प्र0, कानपुर के माध्यम से किया जायेगा । योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

इस योजना का उद्देश्य टाईनी सेक्टर, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग एवं हैण्डलूम क्षेत्र की इकाईयां जो नई एम0एस0ई0डी0 एक्ट के अन्तर्गत आती हैं, को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाना है। इस योजना का लाभ प्रदेश की उपरोक्त क्षेत्र की इकाईयों को प्रदेश तथा देश के स्तर पर प्रदर्शनियों को आयोजित करने के माध्यम से लाभ पहुंचाना प्रस्तावित है ।

उपरोक्त क्षेत्र की इकाईयां जो अपने उत्पादों के विपणन व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं प्रदर्शिनियों में स्टॉल बुक कराकर तथा अपने माल को प्रदर्शनी स्थल पर लाने व ले जाने का भाड़ा वहन नहीं कर पाती है उन इकाईयों को स्टॉल बुकिंग में 50 प्रतिशत् तथा माल लाने व ले जाने में यातायात पर व्यय में 50 प्रतिशत् की छूट दिये जाने का प्राविधान इस योजना में किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदर्शनियों में भाग लेने वाली इकाईयों को वर्ष में एक बार ही योजना का लाभ प्राप्त होगा । योजनान्तर्गत इकाईयों को अधिकतम् रू0 15,000/– स्थल किराये के रूप में तथा रू0 5,000/– परिवहन किराये के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी है ।

(2) गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान

उत्तर प्रदेश लैण्ड लाक्ड राज्य होने के कारण प्रदेश की निर्यातक इकाईयों द्वारा जो माल निर्यात किया जाता है वह समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की इकाईयों की अपेक्षा काफी मॅहगा पड़ता है, इस कारण प्रदेश में दुरस्थ क्षेत्रों में पारस्परिक उत्पादन कौशल होते हुए भी निर्यात का विकास वांछित स्तर तक नहीं हो पाता। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी की निर्यातक इकाईयों को निर्यात हेतु गेट वे पोर्ट तक भेजे गये माल के भाड़े पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। शासनादेश संख्या 1470/77–4–09–142एन./08 दिनांक 25.10.2009 में आंशिक संशोधन करते हुए इस योजनान्तर्गत अब मध्यम श्रेणी के इकाईयों को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी, ऐसे निर्यातक जो पूरे कन्टेनर के स्थान पर लूज/पार्ट कन्टेनर में माल भेजते हैं या सीधे ट्रक के माध्यम से अथवा प्रदेश के बाहर स्थित कन्टेनर डिपो के माध्यम से किये गये निर्यात पर अनुदान इस शर्त के साथ देय होगा कि निर्यात किया गया माल उत्तर प्रदेश में निर्यात के पूर्व प्रत्येक कन्साइनमेन्ट व्यापार कर विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। उक्त योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों (एक्सपोर्ट हाउस सहित) को निर्यात हेतु गेटवेपोर्ट तक हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भाड़े का 25 प्रतिशत् अधिकतम् रू0 5,000/– प्रति कन्टेनर (20 फिट) की दर से दिया जा रहा है ।

(3) निर्यातकों की क्षमता का विकास

वर्ष 2005 से विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कोटा सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है जिससे विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है । केवल वहीं निर्यातक सफल हो सकता है जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों से भली–भांति परिचित हो । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्यातकों/भावी निर्यातकों तथा विभागीय अधिकारियों को विश्व व्यापार संगठन के नियमो में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है । ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड तथा शीर्ष औद्योगिक संघों के माध्यम से संचालित किये जा रहें हैं।

निर्यातकों की निर्यात से सम्बन्धित समस्याओं का निवारण सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समय–समय पर सेमिनार/ओपेन हाउस आयोजित कर किया जा रहा है ।

(4) अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रोत्साहन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना ।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को विश्व व्यापार में बेचने के लिए ख्याति प्राप्त रिसर्च तथा कन्सल्टेन्सी आदि पर काफी धनराशि व्यय की जा रही है । विकसित देशों द्वारा अपने देश के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से काफी मात्रा में बजट उपलब्ध कराया जा रहा है चूँकि प्रत्येक निर्यातक द्वारा स्वयं के स्रोतों से ऐसी स्टडीज/सर्वे आदि पर इतनी भारी धनराशि व्यय करना संभव नहीं है अतः उ0प्र0 सरकार द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के माध्यम से इस प्रकार की स्टडीज कराया जाना अति आवश्यक है जिससे कि निर्यातकों को विभिन्न सेमिनार्स के माध्यम से कराई गई स्टडीज के परिणामों की जानकारी दी जा सके । निर्यातकों को विश्व व्यापार से सम्बन्धित विस्तृत आकड़े तथा उसका विश्लेषण भी समय–समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक है जिसके लिये ब्यूरो द्वारा विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से एक मासिक न्यूजलेटर द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जा रही है ।

आज के युग मे ब्राण्ड प्रमोशन अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है । बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों का पेटेण्ट करा रही हैं तथा स्थान विशेष के उत्पादों के लिए जियोग्रैफिकल इंडीकेटर के अन्तर्गत पेटेण्ट/पंजीकरण प्राप्त किये जा रहें हैं । उ0प्र0 में निर्मित विभिन्न उत्पादों जैसे भदोही का कारपेट, बनारस की सिल्क साड़ी, लखनऊ का चिकन, फिरोजाबाद एवं खुर्जा का चीनी कांच का सामान इत्यादि का जियोग्रैफिकल इंडीकेटर के अन्तर्गत पेटेण्ट/पंजीकरण कराना प्रस्तावित है ।

(5) निर्यात पुरस्कार

प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 के उत्कृष्ट निर्यातकों के विभिन्न निर्यात ग्रुप के अन्तर्गत पुरस्कार प्रदान कर उन्हें और अधिक निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस योजनान्तर्गत विभिन्न 25 निर्धारित श्रेणियों में प्रथम एवं द्वितीय तथा समस्त श्रेणियों में एक सर्वश्रेष्ठ निर्यात पुरस्कार इस प्रकार कुल 51 पुरस्कारों से निर्यातकों को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) वायुयान भाड़ायुक्तिकरण योजना

भौगोलिक दृष्टिकोण से उ0प्र0 एक भू– आच्छादित राज्य है, जहॉ से निकटतम बन्दरगाह लगभग 1500 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। निर्यातकों द्वारा निर्यात हेतु अपने उत्पाद पहले सड़क या रेल मार्ग से बन्दरगाह तक भेजे जाते है। तदुपरान्त बन्दरगाह से समुद्र मार्ग से विदेशी क्रेताओं को भेजा जाता है, जिसके फलस्वरूप यातायात व्यय बहुत अधिक हो जाता है। यातायात व्यय अधिक होने से भेजे गये माल की लागत बढ़ जाती है और उ0प्र0 के निर्यातकों को समुद्र के निकट स्थित राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है। उ0प्र0 एक कृषि प्रधान राज्य है अतः कृषि सम्बन्धी उत्पादों के निर्यात की यहॉ पर पर्याप्त सम्भावनायें है। इसी प्रकार उ0प्र0 हस्तकला के क्षेत्र में भी अग्रणी है। देश के कुल हस्तकला निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत निर्यात उ0प्र0 के निर्यातकों से हो रहा है। उ0प्र0 में स्थित हस्तकला/शिल्पी/निर्यातक अपना तैयार माल समुद्र मार्ग के साथ–साथ वायुयान मार्ग से भी विदेशों में भेजते है, परन्तु वायुयान का भाड़ा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। इसी उद्देश्य से इस योजना का संचालन वर्ष 2008–09 से किया जा रहा है।

(स) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों/क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण

(1). एसाइड योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा निर्यात क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास व अन्य विविध कार्य हेतु संचालित की जा रही है। योजना के संचालन हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कों नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। निर्यात अवस्थापना एवं निर्यात प्रोत्साहन हेतु विविध प्रकार के प्रोजेक्ट्स चिन्हित कर योजनान्तर्गत स्वीकृत किए जाते हैं। इस योजना में राज्य स्तरीय कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट्स स्वीकृति, मॉनिटरिंग हेतु गठित है, जिसके द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाता है।

(2.) क्लस्टर विकास योजना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से सम्बन्धित क्लस्टरों में अवस्थापना सम्बन्धित सुविधाओं का विकास क्लेक्टिव एप्रोच के माध्यम से प्रारम्भ करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास योजना का शुभारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत ऐसे क्लस्टर जो प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हों परन्तु अवस्थापना सुविधाओं के अभाव में अपेक्षित विकास नही कर पा रहे है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत ऐसे क्लस्टरों को चिन्हित कर इनकी डिटेल डाईग्नोस्टिक स्टडी करा कर क्लस्टर ऐक्टर्स, राज्य सरकार एवं अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप चिन्हित कर तद्नुरूप इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के साथ–साथ उद्यमी संगठनों/क्लस्टर ऐक्टर्स/लाभार्थियों में क्षमता के विकास हेतु आवश्यक प्रयास किये जाने का प्राविधान किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को योजना के संचालन हेतु नोडल ऐजन्सी के रूप में नामित किया गया है।

(3). निर्यातक इकाईयों के पंजीयन का कार्य

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संचालित हो रही रही योजनाओं की सुविधा प्राप्त करने हेतु ब्यूरो में पंजीयन आवश्यक है। अभी तक यह कार्य प्रदेश स्तर पर ब्यूरो कार्यालय में सम्पन्न किया जाता रहा। परन्तु निर्यातकों को शीघ्र ही पंजीयन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह कार्य जनपद स्तर पर महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र व निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।

(4). गोल्ड/सिल्वर कार्ड का जारी किया जाना

प्रदेश के निर्यातकों को विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कार्य में वरीयता प्रदान करने के उद्देश्य से गोल्ड कार्ड एवं सिल्वर कार्ड की भी सुविधा प्रदान की जाती है। जिन इकाईयों का प्रतिवर्ष निर्यात टर्नओवर रू0 50 लाख से अधिक है, उन्हे गोल्ड कार्ड और जिनका निर्यात टर्नओवर रू0 20 लाख से अधिक है उन्हें सिल्वर कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है।

(5). परामर्श सम्बन्धी कार्य

प्रदेश के निर्यातकों को निर्यात में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव तथा ऐसे उद्यमियों को जो निर्यात क्षेत्र में रूचि रखतें हैं, परामर्श दिया जाता है तथा निर्यातकों की समस्याओं का समाधान भी त्रिपक्षीय वार्ता के माध्यम से किया जाता है।

(6). प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा निर्यात सम्बन्धी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से निर्यातकों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

(7). निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की कार्यप्रणाली

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की सुविधा प्राप्त करने हेतु निर्यातकों से जिला उद्योग केन्द्र, सम्बन्धित संस्था के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं। जनपद स्तर पर निर्यातकों को परामर्श सम्बन्धी सुविधा का भी प्राविधान है। उक्त हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्रों में प्रबन्धक निर्यात भी तैनात हैं। निर्यात योजनाओं से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्यात आयुक्त, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से विभिन्न स्वीकृतियों हेतु निर्णय लिया जाता है।

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ, शासनादेश, रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र आदि निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जा रहे हैं। ब्यूरो की लगभग 500 पृष्ठ की विस्तृत वेबसाइट है जिसमें निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न जानकारी उपलब्ध है।

तालिका 'क'
वित्तीय आवश्यकतायें कार्यक्रमों तथा कार्य कलापों का वर्गीकरण

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना। '	763.00		763.00	563.00		563.00	563.00		563.00	471.97		471.97
2	वायुयान भाड़ा युक्तिकरण सहायता योजना	5.00		5.00	40.00		40.00	40.00		40.00	15.00		15.00
3	निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना		27.40	27.40		25.47	25.47		25.47	25.47		25.58	25.58
	योग(क)	**768.00**	**27.40**	**795.40**	**603.00**	**25.47**	**628.47**	**603.00**	**25.47**	**628.47**	**486.97**	**25.58**	**512.55**

तालिका 'ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वेतन	...	–	–	...	–	–	...	–	–			
2	मजदूरी	...	4.80	4.80	...	4.80	4.80		4.80	4.80		4.80	4.80
3	यात्रा भत्ता	...	0.10	0.10	...	0.12	0.12		0.12	0.12		0.15	0.15
4	अन्य भत्ता	...			...								
	कार्यालय व्यय आदि	....	22.50	22.50	...	20.55	20.55		20.55	20.55		20.63	20.63
	योग (ख)	**...**	**27.40**	**27.40**	**...**	**25.47**	**25.47**		**25.47**	**25.47**		**25.58**	**25.58**

नोटः सम्बन्धित विभागों द्वारा जहां से अधिकारी/कर्मचारी निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में सम्बद्ध हैं, वेतन आदि वहन किया जाता है।

तालिका 'ग
वित्तीय संसाधनों के स्रोत

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	अनु सं0	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 2009–10			आय–व्ययक अनुमान 2010–11			पुनरीक्षित अनुमान 2010–11			आय–व्ययक अनुमान 2011–12		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1–	03	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग–800– अन्य व्यय– 13– त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना। 27–सब्सिडी	763.00		763.00	563.00		563.00	563.00		563.00	471.97		471.97
2	03	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग– 800– अन्य व्यय, 14–वायुयान भाडा सहायता योजना, 27–सब्सिडी	5.00		5.00	40.00		40.00	40.00		40.00	15.00		15.00
3	03	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग, 800– अन्य व्यय, 07–निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना		27.40	27.40		25.47	25.47		25.47	25.47		25.58	25.58
		योग	**768.00**	**27.40**	**795.40**	**603.00**	**25.47**	**628.47**	**603.00**	**25.47**	**628.47**	**486.97**	**25.58**	**512.55**

उद्योग निदेशालय में ई–गर्वेन्स की प्रगति

सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम/त्वरित उपयोग के माध्यम से उद्योग सम्बंधी नवीनतम सूचनाओं/तकनीकी गतिविधियों के सुसंगत एवं बेहतर संचालन/प्रस्तुतीकरण हेतु उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा सत्त प्रयास किया जाता रहा है जिसका उद्देश्य उचित प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से सूचनाओं को तीव्र गति प्रदान करना तथा उद्यम संबंधीय प्रकियाओं का सरलीकरण हैं परिणामस्वरूप उद्योग सम्बंधी विशिष्ट/नवीनतम सूचनाओं से सुसज्जित उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों उद्यमों के उत्प्रेरण में प्रेरणा स्रोत का काम करेगा और आधुनिक एवं दक्ष कार्य संस्कृति का विकास भी होगा जिससे कार्यालय के दक्षता में भी अभिवृद्वि होगी।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एवं ई–गर्वनेन्स को सुदृढ़ रखने हेतु समस्त जिला उद्योग केन्द्रो को कम्प्यूटर, स्कैनेर,प्रिन्टर तथा इन्टरनेट सुविधायुक्त बनाया जा चुका है एवं प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्रों में हेल्प–डेस्क सुविधा की व्यवस्था की गई है जिसके माध्यम से उद्योग विभाग द्वारा अनुप्रयोग में लाई जाने वाली ई–गर्वनेन्स परियोजनाओं को उद्यमी एवं स्वरोजगार हेतु इच्छुक व्यक्ति को सुलभ बनाया जा रहा है। पत्राचार तथा अन्य प्रकार की सूचनाओं के संप्रेषण हेतु अधिकाधिक रूप से इन्टरनेट का प्रयोग किया जा रहा है ताकि सूचनाओं का संप्रेषण द्रुतगामी तथा मितव्यी हो सके।

इसके अतिरिक्त विविध संस्थाओं जैसे सिडबी, आई0टी0पी0ओ0, डीजी0एफ0टी0, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निदेशालय से सूचनाएं मांगी जाती है इस हेतु निदेशालय में डाटा बैंक स्थापित करने में प्रयास किये जा रहें है। निदेशालय द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन तथा उद्यमियों हेतु सार्थक सामग्री भी उपलब्ध करवाया जा रहा ताकि उद्यमियों को सूचनाओं एवं प्रक्रियों हेतु भटकना न पड़े।

उद्यमियों को आई0टी0 जागरूक बनाने हेतु हेतु विभिन्न कार्यशाला का भी आयोजन निदेशालय द्वारा किया जाता रहा है ताकि उद्यमी ई–गवर्नेन्स के विभिन्न परियोजनाओं जैसे ई–टेन्डर, उद्यमी निवेश मित्र, ऑनलाईन सिंगल टेबल सिस्टम, उद्यमी मित्र इत्यादि से उनका परिचय हो सके तथा इस परियोजनाओं निहित उद्देश्यों का अधिकाधिक लाभ उद्यमियों द्वारा प्राप्त किया जा सके।

स्वरोजगार सृजन से संबंधी महात्वाकॉक्षी कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य' को लाभार्थियों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के दृष्टि से विभाग द्वारा ई–ट्रेकिंग के माध्यम से सुविधा प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे है।

निदेशालय के सामग्री क्रय अनुभाग के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त क्रय प्रक्रिया को समयबद्ध व कम्प्यूटराइज्ड किये जाने के साथ साथ वेब बेस्ड ऑनलाइन किये जाने हेतु निक लखनऊ, यू0पी0ई0सी0एल0 के सहयोग से ई–प्रिक्योरमेन्ट व्यवस्था लागू की गयी है। सामग्री क्रय अनुभाग के 270 टेण्डर ऑनलाइन प्रकाशित किये जा चुके है और भविष्य में सभी टेण्डर ई–प्रिक्योरमेन्ट के माध्यम से ही प्रकाशित होगें जिससे टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी एवं मितव्ययी होगी ।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, वर्तमान योजनाओं का लाभ जन–जन तक सुलभ कराने, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एवं उद्योग स्थापित करने को और अधिक सरल–सुगम बनाने के उद्देश्य से

निवेश मित्र की स्थापना की गयी है जिसके लिए एकलमेज व्यवस्था के अन्तर्गत एक वेब आधारित साफ्टवेयर विकसित किया गया है ताकि उद्यमों को स्वीकृतियां/अनुमतियां/अनापत्तियां/प्रमाण–पत्र समयबद्ध रूप से निर्गत किया जा सके। प्रथम चरण में 18 जनपदों (रामपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बाराबंकी कानपुर(नगर), उन्नाव, मुरादाबाद, कुशीनगर, हाथरस आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर, लखनऊ, गाजीपुर मथुरा, जे0पी0 नगर, लखीमपुर खीरी, गोण्डा) में यह व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाइयों के लिए उद्यमियों द्वारा आवेदन पत्र निवेश मित्र के माध्यम से ही प्राप्त किये जायेगें एवं समयबद्ध रूप में सभी सम्बंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए स्वीकृतियां/अनुमतियां/अनापत्तियां/प्रमाण पत्र आदि निर्गत किये जा जा रहे है।

दिनॉक 12.1.2011 तक ऑनलाइन निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से 1067 आवेदन निस्तारित किये गये।

इसके अतिरिक्त सूक्ष्म तथा छोटी इकाईयो को ऑनलाईन एकल मेज की सुविधा प्रदान करने हेतु आई0आई0ए0 के सहयोग से ऑनलाईन एकल मेज व्यवस्था प्रदेश के समस्त जिलों प्रारभ्भ की गई है जिसके द्वारा उद्यमी मैमोरेन्डम पार्ट–1 एवं 2 की रसीद प्राप्तकर सकता है। इसके द्वारा दिनॉक 12.1.2011 तक 2363 आवेदन निस्तारित किये जा चुके है।

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

(परिशिष्ट)

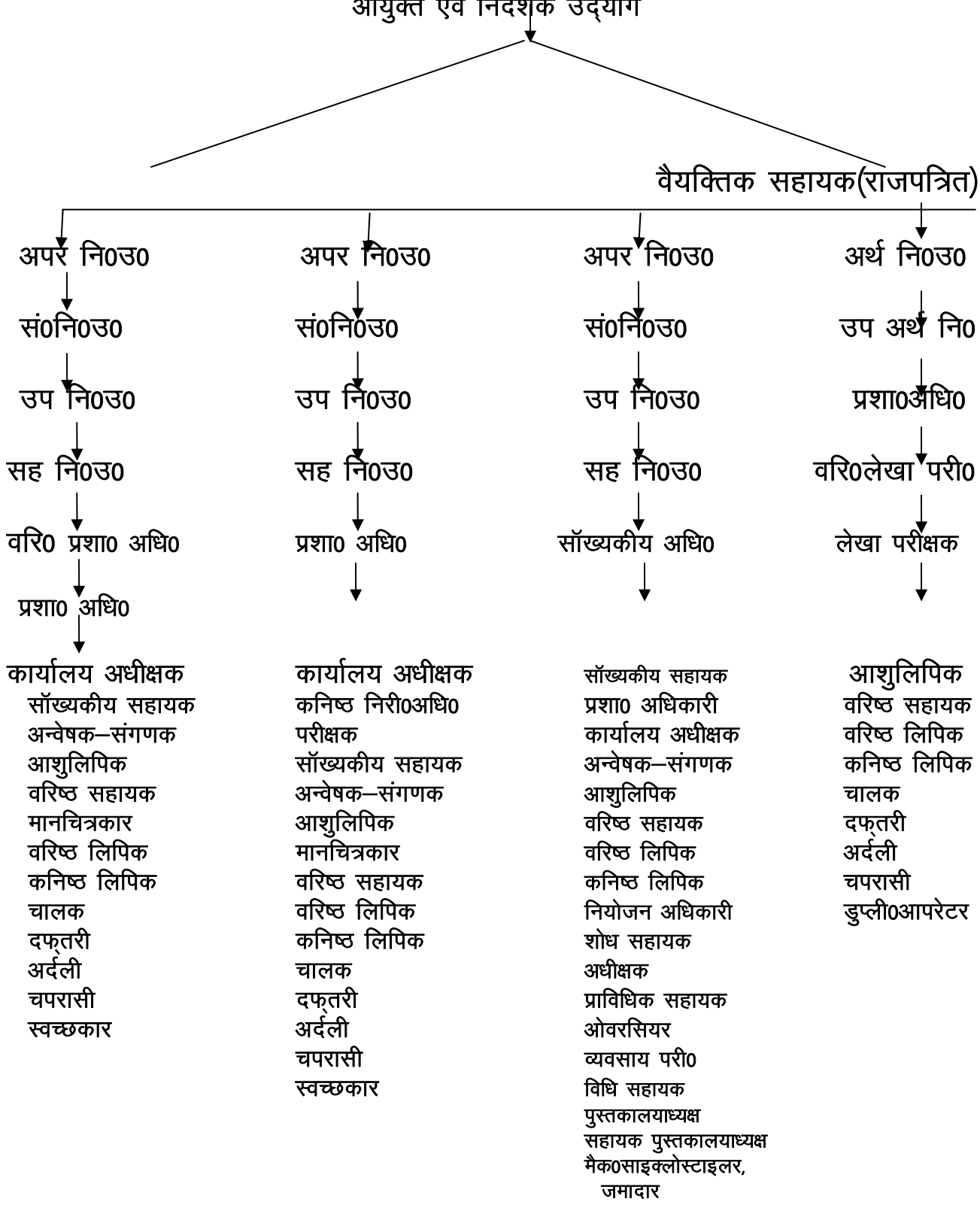

मण्डलीय कार्यालय

परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग

- आशुलिपिक
- प्रधान लिपिक
- वरिष्ठ लिपिक
- कनिष्ठ लिपिक
- चालक
- दफ्तरी
- अर्दली/चपरासी/चौकीदार
- माली
- स्वच्छकार

- ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक
- लेखा परीक्षक

जनपदीय कार्यालय(जिला उद्योग केन्द्र)

महा प्रबन्धक

प्रबन्धक(ऋण)
- ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक
- सहायक प्रबन्धक
- कनिष्ठ लिपिक

प्रबन्धक(तकनीकी)
- सहायक प्रबन्धक
- आशुलिपिक
- चालक

प्रबन्धक(परियोजना)
- सहायक प्रबन्धक
- वरिष्ठ लिपिक
- कनिष्ठ लिपिक
- चपरासी

प्रबन्धक(विपणन)
- सॉख्यकीय सहायक
- सहायक प्रबन्धक
- अन्वेषक–संगणक
- प्रधान लिपिक
- वरिष्ठ लिपिक
- आशुलिपिक
- कनिष्ठ लिपिक
- दफ्तरी
- चौकीदार
- स्वच्छकार